जनवादी पार्टी (एस)

पंजीकृत कार्यालय: गाटा सं0 88, ग्राम बडहरा, पोस्ट तुरना, तहसील सैदपुर, थाना–नन्दगंज, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश–233306

सेवा में,
वरिष्ठ प्रमुख सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली–110001

विषय :– **जनवादी पार्टी (एस)** को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन का राजनीतिक दल के रूप में पंजिकरण हेतु
संदर्भ :– 56/198/2021/रा0द0 अनु–IV/358 dt 29 Dec 2021

महोदय,
आपके पत्र उपरोक्त के संबध में निवेदन है :–

1 यह कि हमारे पत्र दिनांक 4 जनवरी में हमने पार्टी के नये नाम दिये है इसके साथ ही यह भी निवेदन किया है की **जनवादी शब्द** हमारी पहचान है जिस कारण हमारे प्रत्येक नाम में **जनवादी शब्द** जुडा है इस संबंध में पूर्ण प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 20 अक्टूबर के द्वारा जमा किया है (प्रति संलग्न है)

2 जांच सूची की मद सं 2 (!!) दल के गठन के संबंध में मूर्त साक्ष्य के रूप में उस बैठक का, जिसमें दल का गठन किया गया है कि प्रमाणित प्रति पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को आपके कार्यालय में जमा कर दिया गया था । आपके अवलोकनार्थ प्रति संलग्न है।

आपके पत्र दिनांक 1 सितम्बर 2021 में जांच सूची की मद सं 2 (!!) व 13(!) की कमी बतायी गयी थी जिसके संबंध में हमने दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को आपके कार्यालय में उस बैठक का, जिसमें दल का गठन किया गया है तथा संविधान को अंगीकार किया गया कि प्रमाणित प्रति तथा सदस्यों के हस्ताक्षर पंजीका की प्रति संलग्न कर दी थी। एक ही सभा में दोनो निर्णय लिये गये है इस प्रति में इनको हाईलाईट कर दिया गया है।

3 जांच सूची की मद सं 25 के लिये कृप्या मूल प्रार्थना पत्र दिनांक कें पृष्ठ सं **57 से 61** का अवलोकन करे जिसमें **अनापत्ति पत्र की मूल प्रति** व **ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति** संलग्न की गयी है। आपके पत्र उपरोक्त में लिखा है कि छाया प्रति स्वीकार्य नहीं है इसलिये पुन: **अनापत्ति पत्र के रुप में शपथ पत्र (मूल प्रति)** व **ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर रहें है।**

4 जांच सूची की मद सं 29/30 दल के महासचिव का आयप्रमाण पत्र संलग्न है।

5 दल के संविधान की प्रमाणित प्रति पुन: संलग्न कर रहे हैं। जिसमें
क अनुच्छेद 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क(5) के अनिवार्य उपबन्ध
ख अनुच्छेद 29, में **सी ए** के बजाये **सी ए जी** के पैनल को शामिल किया गया है । आपसे यह भी अनुरोध है कि हिन्दी की जांच सूची मे सुधार कर लें।
ग अनुच्छेद 37, में जांच सूची के अनुसार संविधान मे होने वाले उपबन्धों को शामिल कर लिया गया है यदपि ये उपबंन्ध संविधान में के विभिन्न प्रावधानो में मोजूद है। सुविधाजनक रुप से एक साथ अवलोकन किया जा सके इस लिये अतिरिक्त रुप से शामिल किये गये है।

आपसे विनम्र प्रार्थना है कि **उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनावो को ध्यान में रखते हुये हमारी पार्टी का पंजिकरण अतिशीघ्र करें** ।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते जनवादी पार्टी (एस)
भरत चौहान
राष्ट्रीय अध्यक्ष

स्थान दिल्ली
दिनांक 12-01-2022

जनवादी पार्टी (एस)

o/c

पंजीकृत कार्यालयः गाटा सं0 88, ग्राम बडहरा, पोस्ट तुरना, तहसील सैदपुर, थाना–नन्दगंज, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश–233306

भारत निर्वाचन आयोग / Election Commission of India
प्राप्ति एवं निर्गम अनुभाग
R & I Section
20 OCT 2021
कम्प्यूटर क्रमांक सं.
COMPUTER Dy. No.
नई दिल्ली / New Delhi

सेवा में,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली–110001

विषय :–**जनवादी पार्टी (एस)** को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन का राजनीतिक दल के रूप में पंजिकरण हेतु

संदर्भ :– 56 / 198 / 2021 / रा0द0 अनु–iv

महोदय,

1 आपके पत्र उपरोक्त के संबंध में निम्न संलग्न है उपरोक्त पत्र के पैरा 4 में वर्णित संविधान की त्रुटियों को सुधार कर व अन्य निम्न प्रपत्र दिनांक 17 अगस्त 2021 को आपके कार्यालय में जमा करा दिये है:–

(क) **जांच सूची की मद सं0 2(ii) व 13(i)** दल के गठन तथा दल के संविधान को अंगीकार के संबंध में मूर्त साक्ष्य के रूप में आप उस बैठक, जिसमें दल का गठन किया गया तथा संविधान को अंगीकार किया गया कि प्रमाणित प्रति तथा सदस्यों के हस्ताक्षर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।

(ख) **जांच सूची की मद सं0 25** दल के कार्यालय के संबंध में निवेदन है की यह ग्राम की जमीन है तथा ग्राम की बसावट की जमीन में अपने–अपने हिस्से में मकान बना कर रहते है तथा पुश्तैनी होने के कारण रजिस्ट्री या भवन कर नहीं होता। साधारणतया बसावट की खतौनी उपलब्ध नही होती यदि होती भी है तो तकसीम न होने के कारण कंई नाम एक साथ होते हैं। इस दशा में ग्राम–प्रधान/सरपंच द्वारा पंचायत के पत्रशीर्ष (लिटर हैड) पर दिया गया प्रमाण पत्र प्रमाणिक होता है।

(ग) **जांच सूची की मद सं0 29/30** के संबंध मे पार्टी के पदाधिकारी आयकर दाता नही है उनके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) **जांच सूची की मद सं0 31** दल के अध्यक्ष का पैन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है।

पार्टी के नाम के संबंध में निम्न निवेदन है :–

1 यह की इस सभा में उपस्थित अधिकतर सदस्य एक पार्टी जिसका नाम **जनवादी पार्टी सोशलिस्ट** है के सदस्य थे। किन्तु विगत 8–10 वर्षों से कुछ लोगो के अमर्यादित आचरण के कारण उसमें विवाद है तथा माननीय चुनाव आयोग ने भी इसको विवादग्रस्त घोषित कर दिया है जिस कारण करीब पिछले 8–10 वर्षों से पार्टी की गतिविधियां ठप पड़ गयी है। अब इसके पुनः आरम्भ होने की सम्भावना शून्य हो गयी है।

2 मान्यवर हम लोगों ने अपनी गाढी कमाई और कड़ी मेहनत से इस पार्टी का उठाया था किन्तु अब इसमें कोई गतिविधि न होने के कारण हम लोग निराश हो चुके है। और इस कारण दिनांक 15 जुलाई 2021 को एक सभा कर हम सभी सदस्यों ने (जिनके विवरण व हस्ताक्षर संलग्न है) सर्वसम्मति से यह निणर्य लिया गया कि **जनवादी पार्टी एस** के नाम से एक नए दल का गठन किया जायें और भारत निर्वाचन आयोग से इसका पंजिकरण कराया जाय।

3 इस निणर्य के अनुसार कार्यवाही करते हुये हमने दिनांक 10 अगस्त को पंजिकरण का प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में जमा करा दिय जो अभी लम्बित है।

जनवादी पार्टी (एस)

पंजीकृत कार्यालय: गाटा सं0 88, ग्राम बड़हरा, पोस्ट तुरना, तहसील सैदपुर, थाना–नन्दगंज, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश–233306

4 मान्यवर यह भी निवेदन है कि आम जनता मे हमारी पहचान **जनवादी** के रुप में ही है इस कारण हम लोगो ने पार्टी का नाम **जनवादी पार्टी (एस)** रखा है तथा अन्य प्रस्तावित नामों मे भी **जनवादी** शब्द जुडा है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमसे हमारी पहचान बचाने की कृपा करें। इसके कुछ अन्य नाम प्रस्तावित है जो प्राथमिकता क्रम में निम्न है–

क	अखिल भारतीय जनवादी पार्टी
ख	जनवादी पार्टी
ग	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी
घ	भारतीय जनवादी पार्टी
ण	जन जनवादी पार्टी
च	जय जनवादी पार्टी
छ	जनवादी दल
ज	जनवादी मोर्चा
झ	जनवादी सेना

अत: आपसे अनुरोध है कि दल का नाम अतिशीघ्र स्वीकार कर सूचना प्रकाशित कराने का आदेश दे। **हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनावो में भाग लेने को तत्पर है।** अत अतिशीघ्र पार्टी पंजीकरण करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय

कृते: **जनवादी पार्टी (एस)**

स्थान दिल्ली

दिनांक 20/10/2021

a/c

जनवादी पार्टी (एस)

पंजीकृत कार्यालय: गाटा सं0 88, ग्राम बढहरा, पोस्ट तुरना, तहसील सैदपुर, थाना--नन्दगंज, जिला--गाजीपुर, उत्तर प्रदेश--233300

सेवा में,
वरिष्ठ प्रमुख सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली--110001

विषय :--**जनवादी पार्टी (एस)** को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन का राजनीतिक दल के रूप में पंजिकरण हेतु

संदर्भ :-- 56/198/2021/रा0द0 अनु--iv

महोदय,

आपके पत्र उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि **जनवादी शब्द** निम्न हमारी पहचान है जिस कारण हमने जनवादी शब्द के साथ ही नाम दिये है इस संबंध में पूर्ण प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 20 अक्टूबर प्रति संलग्न है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमसे हमारी पहचान बचाने की कृपा करें। इसके कुछ अन्य नाम प्रस्तावित है जो प्राथमिकता क्रम में निम्न है:--

1	भारत जनवादी पार्टी
2	अखिल भारतीय जनवादी पार्टी (संजय)
3	जनवादी पार्टी (संजय)
4	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (संजय)
5	भारतीय जनवादी पार्टी (संजय)
6	जन जनवादी पार्टी
7	जय जनवादी पार्टी
7	राष्ट्रजन जनवादी पार्टी
8	जनवादी दल (संजय)
9	भारत जनवादी पार्टी
10	भारत जनवादी दल
11	भारत जनवादी सेना

अतः आपसे अनुरोध है कि दल का नाम अतिशीघ्र स्वीकार कर सूचना प्रकाशित कराने का आदेश दे। **हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनावो में भाग लेने को तत्पर है।** अत अतिशीघ्र पार्टी पंजीकरण करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते: जनवादी पार्टी (एस)
भरत चौहान
राष्ट्रीय अध्यक्ष

स्थान दिल्ली
दिनांक 05.01.2022

Election Commission of India
FR & I Section
05 JAN 2022
COMPUTER Dy. No.
दिल्ली/New Delhi

किशोर ... तथा सभा की कार्यवाही भी आगे लिखी गई है। श्री दिगम्बर चौहान जी ने सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्कार किया और उनका स्वागत किया। और कहा कि सर्वप्रथम सभा के अध्यक्ष का चुनाव करना है। तब नागेन्द्र चौहान जी ने अध्यक्ष के लिए भरत सिंह चौहान जी के नाम का प्रस्ताव किया। जिसका अनुमोदन कन्हैया चौहान व अजय कुमार गुप्ता ने किया बाकी सभी ने समर्थन किया। इस प्रकार भरत चौहान जी को सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। दिगम्बर चौहान को माला पहनाकर अभिनन्दन किया और आसन ग्रहण करवाया। भरत चौहान जी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए सभापति का आसन ग्रहण किया।

श्री दिगम्बर चौहान ने भरत जी को धन्यवाद करते हुए सभा की कार्यवाही आरम्भ की। उन्होंने कहा हम लोग जनवादी पार्टी में लगभग तीन दशक से संघर्षरत थे किन्तु कुछ लोगों के कारण वो सारी मेहनत व्यर्थ चली गई और पिछले आठ दस साल से उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जनता पार्टी कमजोर हो गई है तथा उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर हैं। इसलिए हम लोग एक नया दल बनाने का विचार कर रहे हैं। इसलिए सभा बुलाई गई। काफी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से किया गया एक नया राजनीतिक दल गठन किया जाए और समय की मांग है इसलिए नए राजनीतिक दल का नाम जनवादी पार्टी (सोश) दिया जाए।

स्थापित

प्रस्ताव संख्या एक: "प्रस्ताव किया गया कि एक नए राजनीतिक पार्टी का आरम्भ की गई जिसका नाम जनवादी पार्टी (सोश) रखा गया।"

प्रस्ताव संख्या दो: "प्रस्ताव किया गया कि पार्टी का पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से कराया जाए।"

प्रस्ताव संख्या तीन: "यह प्रस्तावित किया गया कि पार्टी का बैंक खाता पार्टी का पंजीकरण माननीय भारत निर्वाचन आयोग से होने के बाद पार्टी संविधान एवं कार्यकारिणी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खोला जाएगा।"

सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

प्रस्ताव संख्या चार: पार्टी के कार्यक्रम और अन्य क्रियाकलापों के प्रबंध हेतु तदर्थ की समिति का गठन किया गया।

है इस कोई अन्य नाम
को जनवादी पार्टी से
दिया जा सकता है। तब
मे निम्न नाम और
1. जनवादी पार्टी सामाजिक)
2. जनवादी पार्टी (समाजवादी)
जनवादी पार्टी (लोहिया)
3. इनके अतिरिक्त यह भी
है। वो नाम के बारे में
शर्त है कि भारत चुनाव
एक को देने के
दिगम्बर चौहान ने कहा
था। इससे ही अन्य सुझाव
पर कुछ सुझाव आए।
मुख्य सुझाव सदस्यता
से। चर्चा के बाद
निर्देश दिया गया। लोगों के
के पुराने सदस्यों को
जोड़ा जाए किन्तु सदस्यों
श्री दिगम्बर चौहान के
अध्यक्ष को समापन
अध्यक्ष महोदय ने सभी
जिम्मेदारी आपने मुझे दी
बिना पूरी नहीं हो सकती
से तन मन धन से
पुनः धन्यवाद करते हुए
सभा के समापन की
समय से दे दी जाए -
से काम हो सदस्य

रखे तब श्रीमती देवी श्याम जीत चौहान ने कहा
चाहिए ही इसके साथ कोई अन्य शब्द
यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता क्रम
प्रस्तुत किए जाए।

निर्णय लिया गया कि तीन सदस्यों कि समिति
स्वतंत्र निर्णय ले सकता है किन्तु यह
आयोग उपरोक्त चारो नामो मे से किसी
इनकार कर दे।
कन्हैल चौहान जी का सुझाव बहुत अच्छा
अन्य सदस्यों से भी (मिल) चाहिए। जिस
उन पर विचार किया गया। जिसमें कुछ
बढ़ाने और पार्टी के विस्तार को लेकर
कार्यवाही को अमल मे लाने के लिए
यह भी विचार था कि जनवादी पार्टी
संपर्क किया जाए और अपनी पार्टी से
से इसके लिए अपील की गई।
कहाँ कि आज की कार्यवाही पूरी हुई मैं
भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ।
का आभार व्यक्त किया और कहा की
है वह आप लोगो के सहयोग के
पार्टी को अगर ऊँचाई पर ले जाना है
पूर्ण सहयोग का संकल्प लेना होगा।
अपना भाषण समाप्त किया। इसके साथ
घोषणा कि गई। अगली सभा की सूचना
भी जिसमें सभी सदस्यों को काम
और लाने है।

your writing partner

your writing partner

इस समिति के राष्ट्रीय
कोषाध्यक्ष होंगे। यह
देखेंगी। और इस
लेगी। इन तीन पदाधि-
श्री भरत सिंह चौहान
को तथा दिगम्बर चौहान
गया। इससे यह समृद्धि
से पार्टी का कार्य
पार्टी के कानूनी सलाहकार
"प्रस्ताव किया जाता है कि
का कानूनी सलाहकार
आयोग व अन्य स्थानों
प्रार्थना पर व अन्य के
यह जो प्रस्ताव किया
चुनाव आयोग के समक्ष
पार्टी के संविधान व
संशोधन करने चुनाव
व अन्य आवश्यक कार्य-
प्रस्ताव सर्वसम्मति से
श्री दिगम्बर चौहान
प्रारूप को लेकर विचार करना
इसमें अपने-अपने
पढ़कर विस्तृत परिचर्चा
शामिल कर संशोधित
किया गया।
प्रस्ताव संख्या पाँच: "संकल्प किया गया
ग्राम सं 44 ग्राम
नन्दगाँव जिला गाजीपुर
इच्छा चौहान जो कहा
समय से है। लोगों
कि भारत चुनाव आयोग

अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय
समिति पार्टी के पंजीकरण का कार्य भी
संबंध में आवश्यकता अनुसार निर्णय
कारियों का चुनाव किया गया जिसमें
को अध्यक्ष चुना गया। श्रीमती माधुरी चौहान
को कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुना
गई कि पूरी निष्ठा और समर्पण
करेंगे और पार्टी को आगे ले जायेंगे।
के लिए निम्न प्रस्ताव किया गया।
श्री प्रदीप माहेश्वरी, अधिवक्ता को पार्टी
नियुक्त किया जाए। यह भारत निर्वाचन
में जहाँ आवश्यकता हो जानकारी लेने व
लिए भी अधिकृत किया जाता है।
गया कि पार्टी के पंजीकरण के संबंध में
पार्टी का प्रतिनिधित्व करने।
नियमों के चुनाव आयोग द्वारा वांछित आवश्य
आयोग से पत्र प्राप्त करने, जमा करने
वाही करने के लिए अधिकृत किया जाता
पारित किया गया।
जी ने कहा कि पार्टी के संविधान के
है। इसलिए इस पर विचार कर लिया जाए
सुझाव है। संविधान के प्रावधानों को
कुछ अच्छे-अच्छे सुझाव आए जिन्हें
संविधान के प्रारूप को अंगीकार कर
कि जनवादी पार्टी (स०) का कार्यालय
बुढ़ेहरा, पोस्ट कुरना, तहसील सैदपुर, थान
में रखा जाएगा।"
(ख) पार्टी का नाम में [illegible]
प्रचार रह सकता है और [illegible]
नाम न दे। इसलिए [illegible] सुझाव

आज दिनांक 18 जुलाई सन् 2021 दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे गाटा सं॰ 188 ग्राम बुढ़हरा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर नीचे

क्र॰ सं॰	नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल सं॰	हस्ताक्षर
1	भरत सिंह चौहान	श्री बनारसी चौहान	ग्राम - बड़हरा पोस्ट - तुसा जिला - गाजीपुर	9336528812 7052485799	[signature]
2	माधुरी चौहान	श्री संजय सिंह चौहान	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	7460834960	माधुरी चौहान
3	दिगम्बर सिंह चौहान	श्री अच्छेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	8459536524	[signature]
4	प्रदीपसिंहकुशवाहा	श्री शर्मा कुशवाहा	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	9956189547	[signature]
5	नागेन्द्र चौहान	श्री अच्छेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा - पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	9506374299	नागेन्द्र चौहान
6	योगेन्द्र चौहान	श्री पलकधारी चौहान	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	7738924598	योगेन्द्र चौहान
7	कन्हैया चौहान	श्री बच्चेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	9336394148	Chauhan
8	अजय कुमार गुप्ता	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	9146179099	Ajay Kumar Gupta
9	सिकन्दर चौहान	स्व॰ श्री कन्हैया चौहान	ग्राम - बड़हरा पो॰ तुसा जिला - गाजीपुर	97268517[illegible]	[signature]

your writing partner PAGE ____ your writing partner

DATE DATE

क्र० सं०	नाम	माता /पति/पिता का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
10	सीमा देवी	संजय यादव	ग्राम - बड़हरा पो० कुरना जिला - गाजीपुर	—	सीमा
11	उदय प्रताप चौहान	सुदर्शन चौहान	ग्राम - बड़हरा - पो० कुरना जिला - गाजीपुर		Uday pratap
12	सुरेन्द्र चौहान	श्री शंकर चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरना जिला - गाजीपुर		सुरेन्द्र चौहान
13	गजानन्द पासवान	श्री हरिवंश पासवान	ग्राम - बड़हरा, पो० कुरना जिला - गाजीपुर	9670141197	गजानन्द
14	अजय चौहान	श्री - छोटेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० - कुरना जिला - गाजीपुर		Ajay chauhan
15	गीता देवी	राजेन्द्र यादव	ग्राम - बड़हरा पो० - कुरना जिला - गाजीपुर	—	गीता देवी
16	सोनी देवी	राजन चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरना जिला - गाजीपुर		सोनी देवी
17	शशी किरण चौहान	श्री योगेन्द्र चौहान	ग्राम बड़हरा पो० कुरना जिला - गाजीपुर		Shashikiran
18	पिन्टू यादव	श्री कमला यादव	ग्राम - बड़हरा पो० कुरना जिला - गाजीपुर		Pintoo
19	पूनम देवी	रमेश चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० - कुरना जिला - गाजीपुर		पूनम देवी

21

क्र० सं०	नाम	पति / पिता का नाम	पता	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
20	अशोक गुप्ता	स्व श्री नन्दलाल गुप्ता	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		अशोक
21	अजय यादव	स्व राजेन्द्र यादव	ग्राम - बड़हरा - पो० कुसा जिला - गाजीपुर	7084130507	अजय यादव
22	सुनीता चौहान	श्री नागेन्द्र चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		सुनीता
23	बिराजिया देवी	श्री कमला यादव	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		
24	अनिता	मंजय यादव	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		अनिता
25	अवधेश पासवान	श्री शिवबचन पासवान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		Avadesh
26	मनोज पासवान	श्री शिवबचन पासवान	ग्राम - बड़हरा - पो० कुसा जिला - गाजीपुर		मनोज पासवान
27	चम्पा देवी	स्व० श्री छोटेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा		
28	रामसहाय चौहान	स्व० छोटेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		Ramashay chauhan
29	तारा	श्री गोवर्धन	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		
30	संगीता कुशवाहा	श्री प्रदीप कुशवाहा	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		

DATE

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
31	आशा देवी	श्री कान्ता चौहान	ग्राम बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		आशा
32	अरविन्द चौहान	श्री धारी चौहान	ग्राम- बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		अरविन्द
33	सूबेदार कुशवाहा	स्व. श्री जीऊतबन्धन कुशवाहा			सूबेदार
34	फलकधारी	स्व. श्री सिन्दू चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		
35	देसवती देवी	श्री अच्छेलाल चौहान	ग्राम- बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		देसवती
36	दिनेश चौहान	स्व० श्री राम नरेश	ग्राम बड़हरा		Dinesh Chauhan
37	उर्मिला देवी	जिऊतबंधन चौहान	ग्राम- बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		उर्मिला
38	बेहफी	श्री सुबरि चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		
39	पूनम चौहान	श्री अजीत चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		पूनम
40	सुनिता चौहान	श्री राम सहाय चौहान	ग्राम बड़हरा पो० तुरसा जिला - गाजीपुर		सुनीता
41	लीलावती	श्री [illegible]	ग्राम - बड़हरा पो० तुरसा		

your writing partner

PAGE

your writing partner

DATE

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
42	विमला	स्व श्री खेलाड़ी चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा		
43	बसन्ती गुप्ता	श्री राम जी गुप्ता	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		बसंती
44	चन्द्रमती देवी	श्री चन्द्रमा चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		चन्द्रमती
45	अंगद पासवान	श्री गोविन्द पासवान	ग्राम - बड़हरा		अंगद पासवान
46	इन्द्रावती	श्री देवानन्द चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		
47	हरिश्चन्द्र पासवान	स्व श्री कुबेर पासवान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		हरिश्चन्द्र
48	तेरसी चौहान	स्व श्री बेचू चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		तेरसी देवी
49	अंगद चौहान	स्व० श्री- बेचू चौहान	ग्राम बड़हरा पो० कुसा		
50	रमेश चौहान	श्री शमी चौहान	ग्राम बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर	8726295855	Ramesh
51	मुनिया देवी	श्री नन्दलाल	ग्राम - बड़हरा - पो० कुसा		
52	लीलावती देवी	श्री दुबरी चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुसा जिला - गाजीपुर		लीलावती

your writing partner PAGE

your writing partner PAGE

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
53	रमेश चौहान	श्री महेन्द्र चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० - कुरसा जिला - गाजीपुर	9838381728	रमेश
54	गुड़िया गुप्ता	पुत्री श्री कन्हैया गुप्ता	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		गुड़िया
55	गुड्डी देवी	श्री दिनेश चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		गुड्डी देवी
56	राम नरायन चौहान	स्व श्री भिखारी चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		रामनरायन
57	कमला यादव	स्व श्री आदित यादव	ग्राम - बड़हरा		
58	प्रदीप गुप्ता	श्री राम जी गुप्ता	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		Pradip
59	छन्हेलाल चौहान	स्व श्री सीताराम चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		छन्हेलाल
60	राजपति देवी	श्री रामवृक्ष	ग्राम - बड़हरा - पो० - कुरसा जिला - गाजीपुर		
61	मिट्ठू चौहान	स्व श्री रामबरत चौहान	ग्राम - बड़हरा - पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		मिट्ठू
62	शिवनरायन चौहान	स्व चन्द्र देव चौहान	ग्राम बड़हरा - पो० कुरसा		[illegible]
63	हंसा देवी	शिवनरायन चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा		हंसा चौहान

पाटी (प्रधान) ग्राम सभा बड़हरा पो० कुरसा, जिला गाजीपुर

your writing partner

DATE

क्र०सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
64	चंन्दा चौहान	श्री मिट्ठू चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुस्ता जिला - गाजीपुर		चन्दा
65	चन्द्रमा चौहान	श्री शंकर चौहान	ग्राम बड़हरा पो० कुस्ता जिला - गाजीपुर		चन्द्रमा
66	सविता चौहान	श्री यसवन्त चौहान	ग्राम - बड़हरा - पो० कुस्ता जिला - गाजीपुर		Savita
67	संदीप यादव	श्री अमरनाथ यादव	ग्राम - बड़हरा पो० कुस्ता	8726041046	संदीप यादव
68	किरन पासवान	श्री कमलेश पासवान	ग्राम - बड़हरा पो० कुस्ता जिला - गाजीपुर		किरन
69	शीला देवी	श्री अनिल	ग्राम बड़हरा		शीला
70	शंकर	स्व श्री बुद्धू	ग्राम - बड़हरा		
71	तिलोकी	श्री दिनानाथ	ग्राम - बड़हरा		Trilokī
72	फुला देवी	श्री शर्मा चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुस्ता जिला - गाजीपुर		फुलादेवी
73	राम दुलार चौहान	स्व लीलावती	ग्राम बड़हरा		रामदुलार
74	हवलदार सिंह चौहान	स्व रामवृक्ष चौहान	ग्राम बड़हरा पो० कुस्ता	9022898971	H.chauhan

your writing partner PAGE your writing partner PAGE

क्र०सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
75	उमेश यादव	श्री दधीबल यादव	ग्राम बड़हरा पो० तुरना जिला - गाजीपुर	8280213835	Umesh yadav
76	शम्भू बनवासी	श्री बच्चनू बनवासी	ग्राम बड़हरा		शम्भू
77	रविन्द्र यादव	स्व श्री कल्पू यादव	ग्राम- बड़हरा पो० तुरना जिला - गाजीपुर		रविन्दर
78	दुबरी चौहान	स्व पुनवासी चौहान	ग्राम- बड़हरा पो० तुरना		दुबरी चौहान
79	रामकुवर चौहान	श्री भगनपत चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० तुरना		रामकुंवर
80	मंती चौहान	श्री रामकुंवर चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० तुरना जिला - गाजीपुर		मन्ती
81	अनिता चौहान	श्री हिरा चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० तुरना		अनिता चौ०
82	संजू	श्री गजानन्द पासवान	ग्राम बड़हरा		
83	राजन पासवान	श्री लोकनाथ पासवान	ग्राम - बड़हरा		राजन
84	हिरावती देवी	श्री हरिचन्द पासवान	ग्राम बड़हरा		
85	राधिका चौहान	श्री सत्येन्द्र चौहान	ग्राम- बड़हरा पो० तुरना जिला - गाजीपुर		राधिका

your writing partner

DATE

क्र० सं०	नाम	पति व पिता का नाम	पता	मोबाइ सं०	हस्ताक्षर
86	सुखई चौहान	स्व० श्री हदीत चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर	8577087846	सुखई चौहान
87	कन्हैया गुप्ता	स्व श्री प्रसाद गुप्ता	ग्राम - बड़हरा - पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		कन्हैया
88	अजीत	श्री राम जी	ग्राम - बड़हरा - पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		Ajit
89	प्रमोद कुमार	श्री दिनानाथ मद्देशिया	ग्राम - बड़हरा		प्रमोद कुमार [illegible]
90	मुरती देवी	स्व गोवर्धन कुशवाहा	ग्राम - बड़हरा	9956189547	
91	प्रेमा कुशवाहा	श्री सुबेदार कुशवाहा	ग्राम - बड़हरा - पो० कुरसा जिला - गाजीपुर		प्रेमादेवी
92	केशेन्द्र यादव	स्व० कमला सिंह यादव	ग्राम - बड़हरा		Kesendra
93	मनीषा देवी	श्री केशेन्द्र यादव	ग्राम - बड़हरा		maneesha devi
94	सरोज देवी	श्री श्यामजीत चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला - गाजीपुर	9125688251	सरोज देवी
95	कमलेश यादव	श्री रमाकान्त यादव	ग्राम - बड़हरा	9410250962	Kamlesh
96	संगीता चौहान	श्री रमेश चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० कुरसा जिला -	9838381728	संगीता

DATE

PAGE

PAGE

DATE

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
97	यसवंत चौहान	श्री राम कुंवर चौहान	ग्राम - बड़हरा पो - कुरना जिला - गाजीपुर		yashwant
98	राम जी	श्री हनुमान	ग्राम बड़हरा - पो० कुरना जिला - गाजीपुर		रामजी
99	मीरा देवी	श्री बृजेश यादव	ग्राम - बड़हरा		मीरा
100	बृजेश यादव	श्री रामजनम यादव	ग्राम - बड़हरा		बृजेश
101	राजनीश गुप्ता	श्री रामजी गुप्ता	ग्राम बड़हरा, पो० कुरना जिला - गाजीपुर		Rajnish
102	राम औतार	श्री देवानन्द चौहान	ग्राम - बड़हरा	8417914488	Ramavtar
103	रानी देवी	श्री शैलेन्द्र पासवान	ग्राम बड़हरा		रानी देवी
104					अर्जुन पासवान
105	सत्येन्द्र गुप्ता	श्री कन्हैया लाल गुप्ता	ग्राम - बड़हरा पो० कुरना जिला - गाजीपुर	7385456579	सत्येन्द्र
106	रेनू देवी	श्री अर्जुन पासवान	ग्राम - बड़हरा		रेनू देवी
107	वीरेन्द्र चौहान	श्री कुवरी चौहान	ग्राम - बड़हरा		[illegible]

your writing partner

DATE

क्र० सं०	नाम	पिता व पति का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
108	विपुल यादव	श्री विनोद यादव	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा		विपुल यादव
109	शतवंत चौहान	श्री रामकुँवर चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा जिला - गाजीपुर		शतवन्त
110	शिवमूरत	श्री खुशई चौहान	ग्राम बड़हरा पो० दुसा		शिवमूरत
111	राजन चौहान	स्व० श्री राम सेवक चौहान	ग्राम - बड़हरा - पो० दुसा		राजन चौहान
112	राजकली देवी	श्री रामनरायन	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा जिला - गाजीपुर		राजकली
113	चानमुनी देवी	श्री शर्मा	ग्राम बड़हरा पो० दुसा जिला - गाजीपुर		
114	रानी देवी	श्री शैलेन्द्र पासवान	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा		रानी देवी
115	श्याम जीत चौहान	स्व श्री छबेटेलाल चौहान	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा		श्याम जीत चौहान
116	कमलेश पासवान	स्व श्री शिवबचन पासवान	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा जिला - गाजीपुर		कमलेश पासवान
117	प्रभावती देवी	श्री शिवबचन	ग्राम - बड़हरा पो० दुसा जिला - गाजीपुर		

your writing partner

PAGE

[redacted]

DATE

क्र० सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
118	जीउत बंधन चौहान	स्व० श्री० खेलाजी चौहान	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		Jiutbandhan
119	संजय यादव	श्री कमला यादव	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना जिला - गाजीपुर		संजय यादव
120	इंदल चौहान	स्व श्री खेलाजी चौहान	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		Indal Chauhan
121	ब्रजेश चौहान	श्री शर्मा चौहान	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		V.S. Chauhan
122	गोवर्धन गुप्ता	स्व श्री नन्दलाल गुप्ता	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		गोवर्धन गुप्ता
123	सुषमा चौहान	श्री हवलदार चौहान	ग्राम बड्हरा पो० तुरना		Sushma Chauhan
124	विजय गुप्ता	श्री कन्हैया गुप्ता	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		V. Gupta
125	रोहीत गुप्ता	श्री गोवर्धन गुप्ता	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		Rohit
126	अंकुर चौहान	श्री दिनेश चौहान	ग्राम - बड्हरा पो० तुरना		Ankur Chauhan
127	अनिल	श्री रामजी	ग्राम - बड्हरा - पो० तुरना		अनिल
128	सुरेन्द्र चौहान	स्व० श्री० गनेश चौहान	ग्राम - बड्हरा - पो० तुरना		सुरेन्द्र चौहान

DATE

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Signature...
ACC Name-Mohd. Azam
ACC Code-UP14287104
ACC Add-Sayedwara Sadar, Ghazipur
Mobile-9336166566
License No-17/2012
Tehsil Sadar & District-Ghazipur

Certificate No.	:	IN-UP98240379116606U
Certificate Issued Date	:	11-Jan-2022 02:39 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14287104/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14287104872252346388 19U
Purchased by	:	BANARSI CHAUHAN SO LATE SEETARAM CHAUHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BANARSI CHAUHAN SO LATE SEETARAM CHAUHAN
Second Party	:	SAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	:	BANARSI CHAUHAN SO LATE SEETARAM CHAUHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

1518

Sl.No. ....
Date ..11-01-22..

NOTARY Nand Lal Ram NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF U.P.

Please write or type below this line IN-UP98240379116606U

NOTARY Nandlal Ram Advocate Area Thasil-Sader Gzp. Distt. Ghazipur (U.P.) Regd No.-26 (16/08 Exp.Date 11-11-2023 GOVT. OF U.P.

NOTARY

बनारसी चौहान

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ई–स्टैम्प सं0 IN-UP98240379116606V

शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र

मै **बनारसी चौहान** पुत्र/पुत्री/पत्नी **स्व0 सीताराम चौहान** उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बड़हरा, पोस्ट तुरना, तहसील–सैदपुर, थाना–नन्दगंज, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथनों को स्वीकृत तथा घोषित करता/करती हूं–

1– यह कि मै गाटा सं0 88 ग्राम–बड़हरा, पोस्ट तुरना, तहसील–सैदपुर, थाना–नन्दगंज, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में बने परिसर का वैधानिक स्वामी हूं तथा यह परिसर पूर्ण रूप से मेरे कब्जे में हैं प्रमाण के लिये मै ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूं।

2– यह कि मेरे उपरोक्त परिसर का एक कमरा मेरे द्वारा जनवादी पार्टी (एस) नामक राजनैतिक संस्था को संस्था के पंजीकृत कार्यालय के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये तीन वर्ष के लिये उपयोग के लिए दिया है। जिसके लिये तीन वर्ष तक कोई किराया नहीं लिया जायेगा।

3– यह कि जनवादी पार्टी (एस) का पंजीकृत कार्यालय उपरोक्त परिसर में स्थित होने पर व चलाये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

बनारसी चौहान

शपथकर्ता

सत्यापन

NOTARY
NandLal Ram
Advocate
Area Tehsil Sadar Gzp.
Distt. Ghazipur (U.P.)
Regd. No.-26114/08
Exp. Date
11-11-2023
GOVT. OF U.P.

मै उपरोक्त शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूं कि उक्त शपथ के चरण कमांक 1 से 03 तक की जानकारी मेरे निजी जानकारी व विश्वास के आधार पर पूर्व सत्य है ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक– 11-01-22 में सत्यापित।

बनारसी चौहान

शपथकर्ता

NOTARY
GHAZIPUR (U.P.)

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-बड़हरा, न्याय पंचायत-तुरना, वि०खं०-देवकली, जिला-गाजीपुर

श्रीमती किरन देवी
(ग्राम-प्रधान)
मो0-9670330693

निवास स्थान-
ग्राम -बड़हरा, पोस्ट-तुरना
विकास खण्ड-देवकली, जिला-गाजीपुर, उ0प्र0
पिन कोड - 233306

पत्रांक.....

दिनांक...11/01/22.....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बनारसी चौहान S/o स्व. सीताराम चौहान, निवासी - ग्राम-बड़हरा, पोस्ट- तुरना, तहसील- सैदपुर, थाना- नन्दगंज जिला- गाजीपुर (उ०प्र०) में गाटा सं० 88, ग्राम बड़हरा, पो० तुरना तहसील- सैदपुर, थाना- नन्दगंज जिला- गाजीपुर (उ०प्र०) के अपनी पुश्तैनी जमीन पर एक मकान बनाया है, जिसका कानूनी मालिक व काबिज श्री बनारसी चौहान, S/o स्व सीताराम चौहान है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-बड़हरा में नगर निगम, नगर पालिका आदी नहीं है, तथा यह मकान ग्राम-पंचायत ग्राम-बड़हरा के क्षेत्र में आता है।

प्रधान किरन देवी
ग्राम पंचायत–बड़हरा
वि0खण्ड–देवकली
जनपद–गाजीपुर (उ0प्र0)

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..

उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र

जारी दिनांक: 21/09/2021

जिला	गाजीपुर
तहसील	सैदपुर
आवेदन क्र०	211950010331322
प्रमाणपत्र क्र०	652211065564

यथा विभागीय (क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की) जांच/रिपोर्ट के आधार पर

प्रमाणित किया जाता है कि	माधुरी चौहान
पत्नी	संजय चौहान
माता का नाम	लक्ष्मी देवी
मकान नम्बर	
मोहल्ला	तुरना
ग्राम	बड़हरा
तहसील	सैदपुर
जनपद	गाजीपुर

उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उसका वर्तमान पता मकान नम्बर ग्राम बड़हरामोहल्ला तुरना तहसील सैदपुर ,जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश है | परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय अंकों में रु 5000 व शब्दो में रु. Five Thousand है। जिसके अनुसार कुल वार्षिक आय रु. 60000 व शब्दो में रु. Sixty Thousand है। आय का स्रोत कृषि है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा |

जारी कर्ता केन्द्र: मो मेराज अंसारी ,सहज जन सेवा केंद्र
पद: मो मेराज अंसारी , केंद्र प्रभारी
स्थान: GHAZIPUR,सैदपुर,अन्य (Other),देवकली,सैदपुर
दिनॉक: 21/09/2021
हस्ताक्षर एंव मुहर

NEELAM UPADHYAY
Digitally Signed by NEELAM UPADHYAY O=GOVERNMENT OF REVENUE, OU=REVENUE DEPARTMENT, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सैदपुर,गाजीपुर
दिनॉक: 21/09/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।

माधुरी चौहान

संविधान

2022

जनवादी पार्टी(एस)

पंजीकृत कार्यालय -

गाटा सं0 88, ग्राम बड़हरा, पोस्ट तुरना, तहसील सैदपुर, थाना–नन्दगंज, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश–233306

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ संख्या
अनुच्छेद–01,	नाम	1
अनुच्छेद–02,	मूल सिद्धांत	1
अनुच्छेद–03	संकल्प, उद्देश्य व लक्ष्य	1
अनुच्छेद–04,	प्रतिबद्धता	3
अनुच्छेद–05,	सदस्यता	3
अनुच्छेद–06,	सदस्यता विवरण	6
अनुच्छेद–07,	संगठनात्मक ढांचा	7
अनुच्छेद–08,	मतदान केन्द्र समितियां	8
अनुच्छेद–09,	प्राथमिक समितियां	8
अनुच्छेद–10,	ब्लाक/नगर क्षेत्र स्तरीय संगठन	9
अनुच्छेद–11,	जिला स्तरीय संगठन	11
अनुच्छेद–12,	राज्य स्तरीय संगठन	13
अनुच्छेद–13,	राष्ट्रीय संगठन	15
अनुच्छेद–14,	अधिवेशन	18
अनुच्छेद–15,	कार्यकाल	20
अनुच्छेद–16,	मनोनयन	20
अनुच्छेद–17,	मतदाताओं एवं प्रत्याशियों की पात्रता	20
अनुच्छेद–18,	संगठनात्मक चुनाव	21
अनुच्छेद–19,	चुनाव/निर्वाचन संबंधी विवाद	24
अनुच्छेद–20,	रिक्त स्थान व उनकी पूर्ति	25
अनुच्छेद–21,	राष्ट्रीय अध्यक्ष	25
अनुच्छेद–22,	संसदीय बोर्ड	27
अनुच्छेद–23,	चुनाव घोषणा पत्र समिति	28

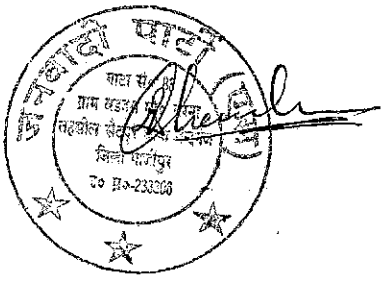

अनुच्छेद–24, मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं सम्बद्ध संगठन	28
अनुच्छेद–25, अनुशासनात्मक कार्रवाई	29
अनुच्छेद–26, विशेष प्रतिनिधित्व	35
अनुच्छेद–27, चंदे से प्राप्त धन/सदस्यता शुल्क का वितरण	35
अनुच्छेद–28, बैंक खाता/खाते	35
अनुच्छेद–29, पार्टी के वित्तीय लेखे	35
अनुच्छेद–30, बैठकों की सूचना	36
अनुच्छेद–31, पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	36
अनुच्छेद–32, प्रभारी	37
अनुच्छेद–33, विशेष आमंत्रित सदस्य	37
अनुच्छेद–34, पार्टी का विलय व विघटन	38
अनुच्छेद–35, संविधान संशोधन	38
अनुच्छेद–36, कोरम	38
अनुच्छेद–37, विशेष	38
अनुलग्न–क	*40*

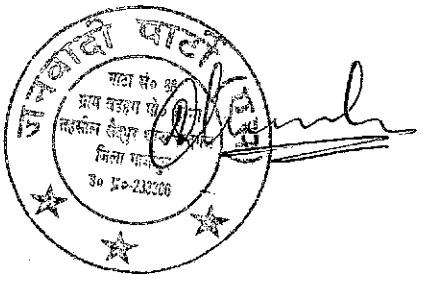

जनवादी पार्टी (एस)

अनुच्छेद–1, नाम

पार्टी का नाम **जनवादी पार्टी (एस)** होगा तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। इस संविधान में आगे प्रयुक्त "पार्टी/दल " शब्द से अभिप्राय **जनवादी पार्टी (एस)** से होगा।

अनुच्छेद–2, मूल सिद्धांत,

क, मूल सिद्धांत

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क(5) के अनिवार्य उपबन्ध **दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।"**

अनुच्छेद–3, संकल्प, उद्देश्य व लक्ष्य

क, संकल्प

1 पार्टी का संकल्प भारत की संप्रभुता को समृद्ध कर लोकतंत्र को पोषित करना है। जिससे सम्पूर्ण जनतंत्र को खुशहाल कर ऐसा समृद्ध समाज स्थापित करना है जिसमें प्राणी मात्र को जीवन की सुख्द अनुभूति मिल सके।

अनुच्छेद–3 ख, उद्देश्य

1 **जनवादी पार्टी (एस)** भारत के महापुरुषों– के आदर्शो को स्थापित करने व उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय पार्टी के रुप में लोकतान्त्रित, धर्म निरपेक्ष, राष्ट्र के निर्माण के लिए गठित की गयी है।

2 पार्टी का दृष्टिकोण राज्य व्यवस्था में आर्थिक व राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। किसानों, गरीबों एवं नौजवानों का विकास पार्टी के उद्देश्य का मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा।

3 निकाय भारत के सभी नागरिकों को चाहें वे निकाय के सदस्य न भी हों आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सहायता प्रदान करेगा। इसके लिये केवल सत्ता या सरकारी सहायता पर निर्भर न रहकर, निकाय के स्वंय के संसाधनों का उपयोग किया जायेगा।

4. भारत के दबे कुचले विशेषकर अति पिछड़े अल्पसंख्यक एंव दलित समाज का उत्थान और उसमें राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना फैलाना है। कृषि को व्यवसाय के रुप में स्थापित करके गॉवों का विकास करना।

5. प्रशासानिक विकेन्द्रीकरण करके देश मे कृषि का विकास, रोजगार के अवसर पैदा करना व राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक समानता लाना है। जिससे आक्रोश व वैमनस्य पैदा न हो और भाई चारे को बढ़ावा मिले।

6. जाति और धर्म से उपर उठ कर सम्पूर्ण देशवासियों में शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक सोच पैदा करके परस्पर भाई–चारे के साथ मानवतावादी समाज की रचना करना और सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत लोंगों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाकर भारत को पुन:स्वर्ण युग तक पहुँचाना

अनुच्छेद–3 ग, लक्ष्य

पार्टी के लक्ष्य निम्न है–

1 सुदृढ़, स्वावलंबी एवं हर दृष्टिकोण से मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है।

2 भारत को एसे स्वच्छ राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों।

3 भारत के निवासियों के आरोग्य, सुख, समद्धि, सम्मान, स्वाभिमान व आजादी के लिये कार्य करना।

4 भारत को उसकी संस्कृति व मर्यादा के आधार पर एक स्वच्छ राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र के रुप में स्थापित करना है। जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो। तथा जो भारत को सुदृढ़ एवं सुसम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील आधुनिक और जागरुक राष्ट्र बनाए।

4 एक ऐसे जन मत का निर्माण करना है जिसमें सम्पूर्ण समाज का हित हो। देश को स्वदेशी व उचित तकनीक प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके।

अनुच्छेद–4, प्रतिबद्धता

1 पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद को इसके मूल सिद्धांत घोषित करती है।

2 पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित या उत्तेजित नहीं करेगी और न ही उसे बढ़ावा देगी तथा न ही उसमें शामिल होगी। पार्टी के सभी आंदोलन शान्तिपूर्ण ढंग से व अहिंसात्मक होंगे।

3 पार्टी में सामान्यतः सभी पद नियत प्रक्रिया के अनुसार चुनाव द्वारा भरे जाएंगे तथा सभी पदों व पदाधिकारियों के चुनाव नियमित रुप से तथा निर्धारित समय में किये जायेगें।

4 दल के विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया लोकतांत्रिक है और कोई भी पद अनुवांशिक नही है तथा उस पर स्थायी रुप मे नही बने रहा जा सकता है।

5 पार्टी की पूरी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक होगी तथा मुख्य विषयों पर सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेंगें।

अनुच्छेद–5, सदस्यता

(क) पात्रता

1. कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, तथा
2. भारतीय संविधान में आस्था रखता हो तथा विश्व–बन्धुत्व में विश्वास रखता हो, तथा
3. पार्टी के संविधान के **अनुच्छेद 2 व 3 (क) (ख) तथा (ग)** को स्वीकार करता हो व पार्टी के संविधान में आस्था रखता हो, तथा
4. किसी अन्य राजनैतिक दल/संगठन का सदस्य न हो, जिसकी पृथक सदस्यता, पृथक कार्यक्रम या संविधान हो, तथा
5. पार्टी का कोई भी विधायक या पदाधिकारी किसी भी सम्प्रदायिक संगठन में हिस्सा नहीं लेगा।
6. किसी भी ऐसे फ्रंट, आर्गेनाईजेशन में काम नहीं करता हो जो पार्टी की नीतियों के विरुद्ध काम करता हो। तथा

(ख) सदस्यता के प्रकार :–

1– साधारण सदस्य :–

क. उपरोक्त उपअनुच्छेद 'क' के अनुसार पात्रता का व्यक्ति निर्धारित **फार्म** में लिखित घोषणा करके तथा राष्ट्रीय कार्यसमिति सभा द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके पार्टी का साधारण सदस्य बन सकता है।

ख. कोई भी व्यक्ति स्थायी निवास स्थान पर या जहां वह काम करता हो, पार्टी का साधारण सदस्य बन सकेगा।

ग. साधारण सदस्य मतदान केन्द्र समिति के चुनाव में भाग लेने के अधिकारी होंगे तथा वे मतदान केन्द्र समिति के पदाधिकारी *(अध्यक्ष को छोड़ कर)* भी बन सकते हैं, किन्तु मतदान केन्द्र समिति के अध्यक्ष के लिये सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है ।

घ. राष्ट्रीय मुख्य सभा, सदस्यता के लिये विशेष अभियान भी चला सकती है । जिसके लिये नये मानदंड भी तय कर सकती है यथा सदस्यता शुल्क, बनने की अर्हता, व प्रक्रिया आदि के लिये।

2– सक्रिय सदस्य :–

क. किसी भी साधारण सदस्य को सक्रिय सदस्य बनने के लिये स्वयं या चंदा (पार्टी की रसीद पर) एकत्र करके 500 रुपये अतिरिक्त धनराशि का योगदान करना होगा या कम से कम 25 साधारण सदस्य बनाने होंगें । एवं

ख. सक्रिय सदस्य को (1)सक्रिय सदस्यता के लिये निर्धारित **फार्म** भरना होगा (2) राष्ट्रीय मुख्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा (3) निर्धारित कार्यक्रम व प्रशिक्षण पूरा करना होगा ।

ग. पार्टी यदि अपनी कोई पत्रिका या मुखपत्र निकालती है तो सक्रिय सदस्य को उसका ग्राहक बनना होगा ।

घ. किसी भी परिषद, कार्यकारिणी, समिति, मोर्चे व प्रकोष्ठ का सदस्य या पदाधिकारी बनने के लिये सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है । केवल मतदान केन्द्र समिति की कार्यकारिणी में सदस्य या पदाधिकारी (अध्यक्ष को छोड़ कर) साधारण सदस्य भी हो सकते हैं ।

(ग) परिचय पत्र

जिला इकाई राष्ट्रीय कार्यसमिति/कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सदस्यों को परिचय पत्र जारी करेगी। परिचय पत्र का शुल्क राष्ट्रीय कार्यसमिति/कार्यकारिणी निर्धारित करेगी व सदस्यों को वह शुल्क देना होगा ।

(घ) सदस्यता का नवीनीकरण :–

1. साधारण व सक्रिय सदस्यता का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जो 1 जनवरी से से प्रारम्भ होकर तीसरे वर्ष के 31 दिसम्बर तक चलेगा ।
2. सदस्यता तब तक जारी रहेगी जब तक कि सदस्य सदस्यता के नियमों के अनुसार सदस्यता–शुल्क पार्टी कोष में जमा करता रहेगा एवं अन्य प्रतिबन्धों व शर्तों का पालन करता रहेगा।
3. सदस्यता का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क जमा करने तथा इसके लिए निर्धारित फार्म भरने पर पूर्ण हुआ मान लिया जायेगा।

(ङ) सदस्यता की समाप्ति :–

निम्न दशाओं में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी :–

1. मृत्यु हो जाने पर,
2. पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर,
3. त्यागपत्र देने पर,
4. सदस्यता से हटाने पर,
5. निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर,
6. किसी अन्य राजनैतिक दल या संगठन का सदस्य बनने पर, जिसका अपना चार्टर/संविधान हो।
7. कोई भी ऐसा कार्य करने पर जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो।

(च) सदस्यता का स्थानान्तरण :–

सदस्यों का क्षेत्र उसी संबंधित राज्य तक सीमित रहेगा, जिसमें वह सदस्य बनता है लेकिन कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता किसी दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी नियम बना सकती है व शुल्क निर्धारित कर सकती है।

(छ) सदस्यता की छानबीन :–

जिला परिषदों और राज्य परिषदों की कार्यकारिणियां राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सदस्यों की भर्ती और उनके संबंध में शिकायतों को निपटाने के लिए समय–समय पर व्यवस्था करेंगी, लेकिन जब कभी राष्ट्रीय कार्यसमिति/कार्यकारिणी को गंभीर शिकायतें मिलेंगी तो उसे ऐसी शिकायतों की जांच–पड़ताल और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सदस्यता के संबंध में राष्ट्रीय कार्यसमिति/कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा ।

अनुच्छेद–6, सदस्यता विवरण

(क) पंजिका :–

जिला कार्यकारिणियां अपने क्षेत्र के सदस्यों के लिए जिला अध्यक्ष की देख–रेख में साधारण एवं सक्रिय सदस्यों के विवरण पृथक–पृथक रजिस्टर में दर्ज करवाएंगी।

(ख) सूचियां :–

1. जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव दोनों के हस्ताक्षरों से युक्त सक्रिय सदस्यों की सूची संबंधित राज्य कार्यकारिणी को भेजी जायेगी ।
2. जिला कार्यकारिणियों द्वारा तैयार की गई सूचियों को संबंधित राज्य कार्यकारिणियां निर्धारित नियमों के अनुसार प्रमाणित करेंगी।
3. राज्य कार्यकारिणियां अपने सदस्यों की सूचियां राष्ट्रीय संगठन के केन्द्रीय कार्यालय को भेजेंगी तथा वे उन्हें उन परिवर्तनों के बारे में भी सूचित करेंगी जो इनमें समय–समय पर किये जायेंगे। इस बारे में विस्तृत नियम राष्ट्रीय कार्यसमिति बनायेगी।

(ग) अन्य तकनीक :–

सदस्यता विवरण रखने के लिये पेपर (कागज) के अतिरिक्त समयानुसार अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है इसके लिये पार्टी की मुख्य सभा निर्णय लेगी व नयम बनायेगी ।

अनुच्छेद–7, संगठनात्मक ढांचा

पार्टी के निम्नलिखित अंग होंगे :–

1.	**मतदान केन्द्र समितिंयां**	मतदान केन्द्र स्तरीय समिति
2.	**प्राथमिक समिति**	ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत व नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समिति /अन्य में अंचल क्षेत्र
3.	**ब्लाक स्तरीय संगठन**	ब्लाक क्षेत्र परिषद ब्लाक क्षेत्र कार्यकारिणी
4.	**जिला स्तरीय संगठन**	जिला परिषद जिला कार्यकारिणी
5.	**राज्य स्तरीय संगठन**	राज्य परिषद राज्य कार्यकारिणी
6.	**राष्ट्रीय संगठन**	राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यसमिति

7. **पूर्ण /खुला अथवा विशेष अधिवेशन**

नोटः–1, इस संविधान में उल्लिखित "राज्य" शब्द में केन्द्र शासित क्षेत्र भी शामिल होंगे ।

2 पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों में नगर संगठन को इस संविधान के अन्तर्गत पृथक जिला स्तरीय संगठन माना जायेगा और इनका गठन जिला स्तरीय संगठन के नियमों के अनुसार ही होगा ।

अनुच्छेद–8, मतदान केन्द्र समितियां

(क) मतदान केन्द्र समितियों का गठन :–

1. मतदान केन्द्र समिति की स्थापना मतदान केन्द्र स्तर पर की जायेगी तथा केवल उन्हीं क्षेत्रों में ही की जायेगी, जहां हर बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य होगा व मतदान केन्द्र समिति क्षेत्र में कम से कम पांच सक्रिय सदस्य होंगे ।
2. मतदान केन्द्र समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव मतदान केन्द्र समिति के क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी (साधारण व सक्रिय) सदस्यों द्वारा किया जाएगा। सक्रिय सदस्य ही मतदान केन्द्र समिति व कार्यकारिणी का अध्यक्ष हो सकेगा। साधारण सदस्य केवल मतदान केन्द्र समिति के सदस्य हो सकते हैं ।
2. समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण अनुच्छेद 13 (ग) 3 ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।
4. अध्यक्ष मतदान केन्द्र समिति के सदस्यों मे से एक सचिव व एक कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(ख) कार्य व अधिकार

यह समिति अपने क्षेत्र में पार्टी के कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी होगी । इस समिति के मुख्य कार्य निम्न होंगे:–

1 अपने क्षेत्र में पार्टी व उसकी नीतियों का प्रचार करना ।
2 पार्टी के सदस्य बनाना व पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना ।
3 चुनाव के समय समिति के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना ।
4 चन्दे का व अन्य आवश्यक रिकार्ड रखना ।
5 अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय–समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना।

अनुच्छेद–9, प्राथमिक समितियां

(क) प्राथमिक समितियों का गठन :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत व नगरीय क्षेत्रो (नगर पंचायतों /नगर पालिकाओं /नगर निगमों) में वार्ड स्तर पर प्राथमिक समिति का गठन किया जायेगा। सामान्यतः राष्ट्रीय मुख्य सभा अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अर्न्तगत इस समीति के क्षेत्र का निर्धारण करेगी।

2. प्राथमिक समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव प्राथमिक समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी सक्रिय सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
3. समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों की संख्या का निर्धारण अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

(ख) कार्य व अधिकार

यह समिति अपने क्षेत्र में पार्टी के कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी होगी। इस समिति के मुख्य कार्य निम्न होंगे:–

1 अपने क्षेत्र में पार्टी व उसकी नीतियों का प्रचार करना ।
2 पार्टी के सदस्य बनाना।
3 पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना ।
4 चुनाव के समय समिति के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना।
5 चन्दे का व अन्य आवश्यक रिकार्ड रखना ।
6 अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय–समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना।

अनुच्छेद–10, ब्लाक/नगर क्षेत्र स्तरीय संगठन

(क) ब्लाक /नगर परिषद

इस परिषद का गठन ग्रामीण क्षेत्रों मे ब्लाक स्तर पर व नगरीय या उन क्षेत्रों जहाँ ब्लाक नहीं है 13(ग)3ग के अनुसार किया जायेगा ।

1. इस परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–
   (क) ब्लाक क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाली मतदान केन्द्र समितियों व प्राथमिक समितियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, एवं
   (ख) ब्लाक क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों व सहकारी समितियों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य व अध्यक्ष, एवं
   (ग) संबंधित ब्लाक क्षेत्र मे निवास करने वाले विधायक, एवं
   (घ) पार्टी के सभी मोर्चो व प्रकोष्ठों के स्तरीय पदाधिकारी, एवं

(ड.) ब्लाक क्षेत्र परिषद के अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव के बाद मनोनीत 3 सदस्य

2. ब्लाक परिषद का गठन अनुच्छेद 13(ग)3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधाना/ नियमों के अनुसार होगा।
3. ब्लाक परिषद के सदस्य समय–समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।
4. ब्लाक क्षेत्र परिषद के सदस्य मतदान केन्द्र समितियों व प्राथमिक समितियों से चुनकर आये प्रतिनिधियों में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे :–
   (क) अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।
   (ख) कार्यकारिणी के लिये अनुच्छेद 13(ग)3ग के अर्न्तगत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सदस्य ।
   (ग) अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अर्न्तगत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सदस्य संबंधित जिला व राज्य परिषद के लिए सदस्य ।

(ख) ब्लाक कार्यकारिणी :–

1. ब्लाक परिषद के सदस्य कार्यकारिणी के लिये उपरोक्त 4 (क) के अनुसार अध्यक्ष व 4 (ख) के अनुसार सदस्यों का चुनाव करेंगें ।
2. अध्यक्ष चुने गये सदस्यों में से अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अर्न्तगत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा ।
3. ब्लाक कार्यकारिणी के अध्यक्ष अपने अधीनस्थ समितियों के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करेगा।
4. ब्लाक कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक अवश्य आयोजित करेगा।

(ग) कार्य व अधिकार

ब्लाक कार्यकारिणी अपने क्षेत्र में पार्टी के कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी होगी । इस समिति के मुख्य कार्य निम्न होंगे:–

1 अपने क्षेत्र में संगठन का ढांचा मजबूत करना ।
2 अपने क्षेत्र में पार्टी व उसके उद्देश्यों उसकी नीतियों का प्रचार–प्रसार करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य करना।

3 पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना ।

4 चुनाव के समय समिति के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना।

5 चन्दे का व अन्य आवश्यक रिकार्ड रखना ।

6 अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय–समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना।

अनुच्छेद–11, जिला स्तरीय संगठन

(क) जिला परिषद

1. जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–
   (क) जिले के अर्न्तगत आने वाले ब्लाक परिषदों से चुने गये प्रतिनिधि, एवं
   (ख) संबंधित जिले के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों व सहकारी समितियों में पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये 10 प्रतिशत सदस्य, एवं
   (ग) जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो तथा जो वर्तमान में पार्टी के सदस्य हों, एवं
   (घ) जिले से निर्वाचित पार्टी के समस्त विधायक व सांसद, परन्तु ये जिला कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकते, एवं
   (ड.) जिले में नगर पंचायत, नगरनिगम, नगर पालिका, सहकारी समितियों एवं जिला पंचायत में पार्टी के सदस्य दल के नेता, एवं
   (च) सभी मोर्चो/प्रकोष्ठों के जिलास्तरीय व ब्लाक क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारी, एवं
   (छ) अधीनस्थ ब्लाक परिषदों के अध्यक्ष , एवं
   (ज) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 10 सदस्य ।

2. सामान्यतः जब तक जिले की 50 प्रतिशत ब्लाक परिषदों का गठन नहीं हो जाता, तब तक जिला परिषद का गठन नहीं होगा । विशेष परिस्थितियों में संबंधित राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यसमिति की अनुमति से जिला परिषद के गठन का निर्णय ले सकती है ।

3. जिला परिषद के सदस्य समय–समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

4. जिला परिषद के सदस्य उक्त 1 (क) (ब्लाक परिषद) के अनुसार चुन कर आये प्रतिनिधियों में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे :–

(क) अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

(ख) जिला कार्यकारिणी के लिये अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सदस्य ।

(ग) अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य परिषद व राष्ट्रीय परिषद के लिए सदस्य ।

(ख) जिला कार्यकारिणी :–

1. जिला कार्यकारिणी के लिये अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार सदस्य संख्या का निर्धारण व चुनाव होगा ।
2. जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में रहने वाले किन्हीं 2 सक्रिय सदस्यों को नियमानुसार कार्यकारिणी के लिये मनोनीत कर सकता है।
3. जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा ।
4. जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी प्रदेश अध्यक्ष की पूर्वानुमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकता है, जो बैठकों में तो भाग लेगा, किन्तु वह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
5. जिला अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक अवश्य आयोजित करेगा।
6. जिला अध्यक्ष अपने अधीनस्थ ब्लाक क्षेत्र कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अवश्य करेगा।

(ग) कार्य व अधिकार

यह समिति अपने क्षेत्र में पार्टी के कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी होगी। इस समिति के मुख्य कार्य निम्न होंगे:–

1 जिले में संगठन का ढांचा मजबूत करना।

2 पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना ।

3 अपने क्षेत्र में पार्टी, उसके उद्देश्यों व उसकी नीतियों का प्रचार करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य करना।

4 चुनाव के समय समिति के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना।

5 चन्दे का व अन्य आवश्यक रिकार्ड रखना ।

6 अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय–समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना।

अनुच्छेद–12, राज्य स्तरीय संगठन

(क) राज्य परिषद

1. राज्य परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रत्येक ब्लाक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं

(ख) राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रत्येक जिला परिषद द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं

(ग) अधीनस्थ विधानसभा क्षेत्र परिषदों व जिला परिषदों के अध्यक्ष , एवं

(घ) राज्य से निर्वाचिते पार्टी के सभी विधायक व सांसद, एवं

(ड.) राज्य परिषदों के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री, यदि वे वर्तमान में पार्टी के सक्रिय सदस्य हों, एवं

(च) राज्य एवं जिला स्तरीय मोर्चो व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, एवं

(छ) राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र मैं आने वाले स्थानीय निकायों में पार्टी के सदस्य दल के नेता, एवं

(ज) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम 20 सदस्य।

नोट :–मनोनीत सदस्य किसी भी दशा में कुल चुने गये सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

2. राज्य परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

3. राज्य परिषद के सदस्य उपरोक्त 1(क) व (ख) के अनुसार चुने गये प्रतिनिधियों में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे :–

(क) अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

(ख) राज्य कार्यकारिणी के लिये अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सदस्य ।

(ग) राज्य परिषद के सदस्य अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय परिषद के लिए सदस्य चुनेंगे ।

(ख) राज्य कार्यकारिणी :–

1. राज्य कार्यकारिणी के लिये इस अनुच्छेद के क 1 (क) व (ख) के अनुसार चुने गये सदस्य अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सदस्यों का चुनाव करेंगे। 5 सदस्यों का मनोनयन प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा।
2. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष कार्यकारिणी के चुने गये सदस्यों में से अनुच्छेद 13(ग) 3ग के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा ।
3. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकेगा, जो बैठकों में तो भाग लेगा, किन्तु वह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
4. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक अवश्य आयोजित करेगा।

(घ) कार्य व अधिकार

राज्य कार्यकारिणी राज्य में पार्टी के कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी होगी । इस समिति के मुख्य कार्य निम्न होंगे:–

1 राज्य में पार्टी के संगठन को मजबूत करना एवं राज्य स्तरीय मुद्दों पर जनमत तैयार करना।

2 अपने क्षेत्र में पार्टी व उसके उद्देश्यों व नीतियों का प्रचार–प्रसार करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य करना ।

2 पार्टी के सदस्य बनाना।

3 पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना ।

4 चुनाव के समय राज्य में पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करना ।

5 चन्दे का व अन्य आवश्यक रिकार्ड रखना ।

6 राष्ट्रीय संगठन द्वारा वांछित सूचनायें व रिकार्ड अपने से निम्न स्तर की इकाइयों से मंगाना व राष्ट्रीय संगठन को भेजना । राष्ट्रीय संगठन द्वारा समय–समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना ।

अनुच्छेद–13, राष्ट्रीय संगठन

(क) राष्ट्रीय परिषद

1. राष्ट्रीय परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–
   (क) जिला परिषदों द्वारा राष्ट्रीय परिषद के लिये चुने गये प्रतिनिधि,
   (ख) सभी राज्य परिषदों के अध्यक्ष तथा राज्य परिषदों द्वारा नियमानुसार निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं
   (ग) पार्टी के सभी सांसद व सभी विधायक, एवं
   (घ) पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सांसद, जो वर्तमान में पार्टी के सक्रिय सदस्य हों, एवं
   (ड.) सभी प्रदेशों के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में पार्टी के सक्रिय सदस्य हों एवं
   (च) राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय कार्यसमिति के सभी सदस्य, एवं
   (छ) संबंधित मोर्चों व प्रकोष्ठों में पार्टी के राज्य व अखिल भारतीय अध्यक्ष, एवं
   (ज) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव के बाद मनोनीत अधिकतम 50 सदस्य,

नोट– यह संख्या किसी भी दशा में कुल चुने सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2. राष्ट्रीय परिषद को इस संविधान के अनुरुप पार्टी के मामलों में नियमन हेतु कदम उठाने का अधिकार होगा और सभी अधीनस्थ इकाइयों को उसके आदेशों का पालन करना होगा।
3. राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को निर्धारित आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. उपअनुच्छेद (क) 1 (क) व (ख) के अनुसार चुने गये राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष तथा 64 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष ही राष्ट्रीय परिषद/राष्ट्रीय कार्यसमिति/पूर्ण अधिवेशन /विशेष अधिवेशन का भी अध्यक्ष होगा।

(ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद/पूर्ण अधिवेशन/विशेष अधिवेशन के प्रति उत्तरदायी होगी।
2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 75 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष तथा 64 सदस्य नियमानुसार परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. अपने निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

नोट– यह संख्या किसी भी दशा में कुल चुने सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4. अपने चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

1	उपाध्यक्ष	अधिकतम	5
2	प्रधान महासचिव		1
3	महासचिव	अधिकतम	5
4	सचिव	अधिकतम	10
5	उपसचिव	अधिकतम	20
6	प्रवक्ता		1
7	कोषाध्यक्ष		1

5. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी भी बैठक के लिए कोरम (गणपूर्ति) 21 होगी।
6. संसद के दोनो सदनों में पार्टी के नेता कार्यकारिणी में पदेन सदस्य होंगे।
7. प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा/विधान परिषदों में पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।
8. संबंधित मोर्चों व प्रकोष्ठों में पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

नोट–पदेन सदस्य कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

9. <u>राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार व कार्य</u> :–
   (क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पूर्ण अथवा विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।

(ख) सामान्यतः अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यसमिति इन निर्णयों पर विचार कर निर्णय ले सकती है और उस परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के खातों व हिसाब–किताब की जांच/अंकेक्षण करने के लिये राष्ट्रीय कार्यसमिति की संस्तुति से **प्रमाणित अंकेक्षक /अंकेक्षकों** की नियुक्ति करेगी।

(घ) किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पार्टी के हित में यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा, किन्तु यदि कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है, जो संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों से बाहर है, तो उसे पुष्टि के लिए यथाशीघ्र राष्ट्रीय परिषद के समक्ष रखना होगा।

(ग) राष्ट्रीय कार्यसमिति

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी की सर्वोच्च संस्था होगी ।
2. राष्ट्रीय कार्यसमिति में निम्नलिखित 11 सदस्य होंगे:–
   – राष्ट्रीय अध्यक्ष
   – राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
   – राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
   –कानूनी सलाहकार *(कानूनी सलाहकार की नियुक्ति राष्ट्रीय परिषद द्वारा की जायेगी। कानूनी सलाहकार का पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।)*
   – 3 सदस्य नियमानुसार राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे।
   – संसद के दोनो सदनों में पार्टी के नेता (यदि कोई हों)
   – 2 (दो) सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रदेशों के अध्यक्ष नामांकित करेंगे । जब तक संसद के सदनों में पार्टी के नेता के पद रिक्त रहते हैं तो बाकी 2 (दो) सदस्यो का नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे ।

3. **<u>राष्ट्रीय कार्यसमिति के अधिकार व कार्य</u>** :–

   (क) राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी की सबसे बड़ी व सर्वाधिक अधिकार प्राप्त सभा होगी तथा उसे पूर्ण अथवा विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद व कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।

(ख) इस संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने और प्रयोग संबंधी सभी मामलों में कार्यसमिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुमोदित करेगी।

(ग) राष्ट्रीय कार्यसमिति प्रत्येक प्रदेश के लिये उसकी भोगोलिक स्थिति, उसकी राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था, जनसंख्या व उस प्रदेश में पार्टी के विस्तार को ध्यान में रखते हुये कमेटीयों, समितियों व कार्यकारिणियों के गठन के समय विधि, सदस्यों व पदाधिकारियों की संख्या आदि के बारे में विस्तृत नियम बनायेगी। ये नियम क्षेत्र के अनुसार भी प्रथक प्रथक हो सकते हैं। सामान्यतः अनुलग्नक 'क' के अनुदेशों का पालन किया जाएगा ।

(घ) इस संविधान को क्रियान्वित करने व संगठन को सुचारु रुप से चलाने के लिये राष्ट्रीय कार्यसमिति नियम बनायेगी तथा आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन व परिवर्तन करने का अधिकार भी राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा।

(ङ) पार्टी की समस्त इकाइयों को संविधान सम्मत आदेश देगी।

(च) अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यसमिति विशेष परिस्थितियों में अपना अन्तिम निर्णय देगी।

(छ) राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी के खातों व हिसाब–किताब की जांच/अंकेक्षण करने के लिये **प्रमाणित अंकेक्षक/अंकेक्षकों** की नियुक्ति के लिये राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संस्तुति करेगी।

अनुच्छेद–14, अधिवेशन

(क) विषय निर्धारण समिति

1. अधिवेशन से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक विषय निर्धारण समिति के रुप में होगी, जिसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष करेंगे।
2. राष्ट्रीय कार्यसमिति विषय निर्धारण समिति के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, जिसमें पूर्ण अधिवेशन के मसविदे सम्मिलित होंगे।
3. इस प्रकार विषय निर्धारण समिति बहुमत/सर्वसम्मति से विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले जिन विषयों का अन्तिम रुप से निर्धारण करेगी, वे विषय ही पूर्ण अधिवेशन में रखे जायेंगे।

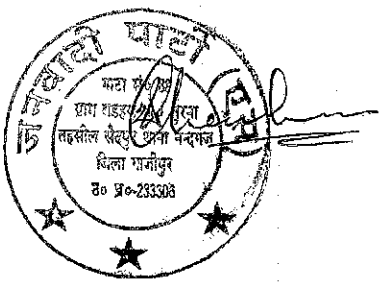

(ख) पूर्ण अधिवेशन

1. पार्टी का पूर्ण अधिवेशन सामान्यतः तीन वर्ष में एक बार होगा।
2. पूर्ण अधिवेशन के समय व स्थान का निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।
3. इसमें राष्ट्रीय परिषद तथा सभी राज्यों की कार्यकारिणियों के सभी सदस्य प्रतिनिधि के रुप में भाग लेंगे।
4. अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात अधिवेशन ऐसे सारगर्भित प्रस्तावों पर विचार करेगा, जो पूर्वनिर्धारित प्रस्तावों के प्रारुप में सम्मिलित नहीं हैं, परन्तु जिसके लिए उस दिन बैठक आरम्भ होने से पूर्व कम से कम 50 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में प्रस्तुत करने की अनुमति आवेदन पत्र देकर मांगी हो।
5. जिस राज्य कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में अधिवेशन होगा, वह स्वागत समिति के रुप में अधिवेशन की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी ।
6. स्वागत समिति अधिवेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिसमें धन–संग्रह और उसका लेखा–जोखा रखना भी सम्मिलित होगा।
7. अधिवेशन के पश्चात 6 महीने के अन्दर इस लेखे–जोखे का आडिट राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटर/आडिटरों के एक दल से कराया जायेगा।
8. स्वागत समिति के पास जो धनराशि बची रहेगी उसमें से आधी राशि राष्ट्रीय परिषद के कोष को दी जायेगी तथा आधी उसी राज्य कार्यकारिणी के कोष में जमा होगी।

(ख) विशेष अधिवेशन

1. पार्टी का विशेष अधिवेशन तब होगा जबकि आधे से अधिक राज्य कार्यकारिणियां या राष्ट्रीय परिषद के 50 प्रतिशत सदस्य सारगर्भित प्रश्नों पर चर्चा की मांग प्रस्ताव द्वारा करें या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा निश्चित करे।
2. पूर्ण अधिवेशन के प्रतिनिधि ही विशेष अधिवेशन के भी प्रतिनिधि होंगे।
3. विशेष अधिवेशन की व्यवस्था उसी राज्य परिषद द्वारा की जायेगी, जिसे अधिवेशन का आयोजन करने के लिए चुना जाएगा।

अनुच्छेद–15, कार्यकाल

प्रत्येक परिषद, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति व सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः **तीन** वर्ष का होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रीय परिषद चाहे तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्यकाल अगले **एक** कार्यकाल के लिए बढ़ा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यसमिति राज्य परिषद व राज्य कार्यकारिणी तथा राज्य अध्यक्ष का कार्यकाल अगले **एक** कार्यकाल के लिए बढ़ा सकती है।

अनुच्छेद–16, मनोनयन

अनुच्छेद–16क, कार्यकारिणियों का मनोनयन

इस संविधान के अनुसार संबंधित परिषदों का गठन न होने पर ब्लाक क्षेत्रों व जिलों के अध्यक्षों व कार्यकारिणियों का मनोनयन राज्य अध्यक्ष द्वारा राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन से व राज्य अध्यक्षों व राज्य कार्यकारिणियों का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यसमिति के अनुमोदन से किया जायेगा। मतदान केंद्र समितियों व प्राथमिक समितियों के अध्यक्षों व कार्यकारिणियों का मनोनयन जिला अध्यक्ष द्वारा जिला कार्यकारिणियों के अनुमोदन से किया जायेगा।

अनुच्छेद–16 ख, सदस्यो का मनोनयन

प्रत्येक स्तर पर किसी भी समिति/कमेटी/कार्यकारिणी/परिषद मे मनोनीत सदस्यो की संख्या उस समिति/कमेटी/कार्यकारिणी/परिषद के कुल चुने गये सदस्यो की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

मनोनीत सदस्यों को वोट देने या चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद–17, मतदाताओं एवं प्रत्याशियों की पात्रता

1. विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों मे मतदान करने व प्रत्याशी बनने के लिये सदस्य का नाम जिलों मे रखी गयी (राज्य कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत) सदस्य पंजिकाओं मे दर्ज होना अनिवार्य है ।

2. यदि किसी सदस्य का शुल्क बकाया है, तो वह संगठनात्मक चुनावों मे मतदान करने व प्रत्याशी बनने की अर्हता खो देगा ।
3. कोई भी सदस्य अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकता है अर्थात राष्ट्रीय परिषद के चुनाव में अपने राज्य/जिले से, राज्य परिषद के चुनाव में अपने जिले/विधानसभा क्षेत्र से, जिला परिषद में अपने विधानसभा क्षेत्र से तथा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में अपनी प्राथमिक समिति/मतदान केंद्र समिति के क्षेत्र से ।

अनुच्छेद–18, संगठनात्मक चुनाव

(क) चुनाव तंत्र :–

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी के किसी सदस्य को राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी जो निश्चित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कार्यकारिणियों एवं परिषदों के सदस्यों के चुनाव की समस्त व्यवस्था करेगा।
2. आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय कार्यसमिति की सलाह से सहायक चुनाव/निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारी, जो पार्टी के चुनावों का सुचारु प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेगा।
3. पार्टी की राज्य कार्यकारिणियां अपने–अपने राज्यो में जिला, विधानसभा क्षेत्र, प्राथमिक समितियों, मतदान केन्द्र समितियों के चुनाव के लिये जिला चुनाव/निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारियों, जो पार्टी के चुनावों का सुचारु प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेगीं।
4. सभी चुनाव/निर्वाचन अधिकारी व सहायक चुनाव/निर्वाचन अधिकारी पार्टी के सक्रिय सदस्य होंगे किन्तु वे किसी भी कार्यकारिणी/कार्यसमिति के सदस्य या पदाधिकारी नहीं होंगे। यदि वे अपनी नियुक्ति के समय किसी कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी हैं तो चुनाव/निर्वाचन अधिकारी बनने की तिथि से उस पद (कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी) से मुक्त हो जायेंगे।
5. यदि उपअनुच्छेद 3 में वर्णित व्यवस्थानुसार निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने में राज्य कार्यकारिणियां असमर्थ रहती हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

6. राष्ट्रीय कार्यसमिति निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था करेगी। राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार विधि के अनुसार राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा।
7. राज्य तथा जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय क्रमशः राज्य तथा जिला इकाइयों के मुख्यालयों में होंगे परन्तु संबंधित राज्य कार्यकारिणी अथवा जिला कार्यकारिणी की विशेष अनुमति से या राष्ट्रीय कार्यसमिति के निर्देश पर वे अपने कार्यालय अन्यत्र भी रख सकते है।
8. सभी चुनाव/निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करेंगें। चुनावों के कार्यक्रमों व प्रक्रिया का निर्धारण राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय कार्यसमिति की सलाह से करेगा।
9. पार्टी के संविधान तथा उसमें उल्लिखित नियमों के अनुसार चुनावों को उचित प्रकार से संचालित करने के लिये समुचित निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी को होगा।
10. यदि राष्ट्रीय कार्यसमिति को यह विश्वास हो जाए कि किसी चुनाव/निर्वाचन अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से नहीं किया है तो राष्ट्रीय कार्यसमिति अपनी सामान्य बैठक में तीन–चौथाई बहुमत से उस निर्वाचन अधिकारी को हटा देने में सक्षम होगी, परन्तु इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस अधिकारी को उसके ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(ख) मतदान :–

1. निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्र के स्थान, दिन, तिथि, समय और प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत क्षेत्र का निर्धारण तथा उनका प्रकाशन चुनाव की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व करेगा।
2. नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा संबंधित निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे। नामांकन पत्र निर्धारित प्रारुप में होंगे। वे छपे हुए या हस्तलिखित हो सकते हैं।
3. ऐसे प्रत्याशी, जिनके नामांकन पत्र वैध ठहराये गये हैं और वे नाम वापस लेना चाहते हैं तो वे नाम वापस लेने की लिखित सूचना/प्रार्थना पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

4. मतपत्र द्वारा चुनाव की पद्धति निम्न प्रकार होगी :-

(क) निर्वाचन अधिकारी पर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व होगा।

(ख) निर्वाचन अधिकारी को प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को मतदान स्थल में प्रवेश करने तथा मतदान के निरीक्षण के लिए स्वीकृति देने का अधिकार होगा। निर्वाचन अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के कोने में अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा।

(ग) मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना प्रारंभ कर दी जायेगी तथा जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, यह कार्यवाही जारी रहेगी।

(ख) मतगणना पूर्ण होते ही निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की घोषणा करेगा

5. हाथ उठाकर मतदान किये जाने की प्रणाली निम्न प्रकार होगी :-

(क) निर्वाचन अधिकारी मतदान आरंभ होने के समय की अधिसूचना जारी करेगा। यदि वह आवश्यक समझे तो इस समय को आधा घंटा बढ़ा सकता है।

(ख) निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं के मतदान स्थल में प्रवेश करते समय छानबीन/जांच कर सकता है।

(ग) मतगणना के पश्चात निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों के हस्ताक्षर परिणाम की लिखित घोषणा पर लेगा।

6. पार्टी चुनावों के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए न तो वाहनों का प्रयोग करेंगे और न ही अनुचित विधि से प्रचार करेगें। इन प्रावधानों का उल्लघंन करने वाले प्रत्याशी का चुनाव अवैध हो जायेगा ओर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

7. संबंधित परिषद के सदस्यों की पहली बैठक संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी या फिर उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में ही निर्वाचित सदस्य संबंधित परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करेंगे।

(ग) कार्यकारिणियों के चुनाव

1. किसी भी कार्यकारिणी के चुनाव में संबंधित परिषद के लिये सिर्फ अधीनस्थ परिषदों/समितियों द्वारा निर्वाचित सदस्य ही खड़े हो सकते हैं जब तक कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस प्रतिबंध से छूट न दी गई हो।
2. नामांकन पत्र का प्रस्ताव और समर्थन संबंधित परिषद के सदस्य ही करेंगे लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सदस्य पांच से अधिक प्रत्याशियों के नाम का प्रस्ताव नहीं कर सकता।
3. नामांकन पत्रों पर प्रस्तावित प्रत्याशियों की सहमति अंकित होगी।
4. कोई भी प्रत्याशी केवल एक स्थान से ही नामांकन भर सकता है।
5. मतदान गुप्त होगा तथा साधारण बहुमत के आधार पर होगा।
6. मतदाता संबंधित कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के बराबर मतपत्र पर वोट अंकित कर सकता है, परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि एक मतदाता किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में एक से अधिक मत नहीं देगा।
7. यदि कोई मतदाता संबंधित कार्यकारिणी के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक वोट मतपत्र पर अंकित करता है तो उसका मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
8. ये नियम राष्ट्रीय परिषद व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित सभी परिषदों कार्यकारिणियों व समितियों के सदस्यों के चुनावों में भी लागू होंगे।

अनुच्छेद–19, चुनाव/निर्वाचन संबंधी विवाद

संबधित जिला व राज्य कार्यकारिणियां, राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संबंधी शिकायतों को निपटाने की व्यवस्था करेंगी। पार्टी की जिला कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार विधि के अनुसार संबंधित राज्य कार्यकारिणी को तथा राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा। राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा ।

अनुच्छेद–20, रिक्त स्थान व उनकी पूर्ति

क) यदि कार्यकारिणी/परिषद/समिति/कार्यसमिति का कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष है, तो एसे में :–

1. यदि किसी भी पद के लिए कोई स्थान रिक्त होगा तो उस स्थान के लिए चुनाव/नामांकन उस पद के लिए नियत प्रक्रिया द्वारा ही होगा।
2. नया चुनाव संबंधित कार्यकारिणी/परिषद/समिति/कार्यसमिति के शेष कार्यकाल तक के लिए ही होगा।

ख) यदि कार्यकारिणी/परिषद/समिति/कार्यसमिति का कार्यकाल छःमाह से कम शेष है तो उस पद (अध्यक्ष पद छोड़ कर) के लिए नामांकन संबंधित इकाई का अध्यक्ष कर सकता है। अध्यक्ष का नामांकन उच्चतर इकाई की कार्यकारिणी करेगी।

अनुच्छेद–21, राष्ट्रीय अध्यक्ष

(क) चुनाव

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में बनाए गये नियमों के अनुसार करायेगा। वह निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद के सदस्य करेंगे ।
3. निर्वाचन अधिकारी विस्तृत रुप से पारदर्शिता बनाए रखेगा तथा चुनाव के सामान्य नियमों का पालन करेगा। इस हेतु वह निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित करेगा तथा इसी कार्यक्रमानुसार चुनाव की व्यवस्था करेगा।

(ख) प्रक्रिया

1. राष्ट्रीय परिषद में संयुक्त रुप से कोई भी 10 सदस्य जिला परिषदों व राज्य परिषदों से निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद के किसी भी सदस्य का नाम पार्टी अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित कर सकते हैं।
2. नामाकंन पत्र सक्षम चुनाव/निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित नियमों के अनुसार नियत तिथि तक पहुँच जाने चाहिए।

3. निर्वाचन अधिकारी नामाकंन पत्रों की जाँच करेंगे तथा नियमानुसार सही पाये गये उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित कर देंगे।
4. नामाकंन वापसी के बाद यदि चुनाव आवश्यक हुआ तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत स्थान पर नियत तारीख (जो सामान्यतः चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम से कम 7 दिन बाद ही होगी) को मतदान होगा।

(ग) कार्य व अधिकार :–

1. चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद एवं पार्टी के पूर्ण/विशेष अधिवेशन के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय स्तर के समस्त अधिवेशनों व बैठकों का सभापतित्व करेगा।
2. जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति की बैठक/अधिवेशन नहीं हो रहा होगा तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग नियमानुसार करेगा तथा ऐसे कार्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति के आगामी बैठक/अधिवेशन में पारित करायेगा।
3. राष्ट्रीय कार्यसमिति /राष्ट्रीय कार्यकारिणी /राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा, किन्तु राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी /राष्ट्रीय परिषद के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी बैठक बुलाने को बाध्य होगा।

(ङ) राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिक्त स्थान व उसकी पूर्ति :–

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कारण यदि त्यागपत्र देंगें, तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुये लिखेगें । राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव या कार्यालय सचिव इस त्यागपत्र को प्राप्त करेंगे व पावती देंगें ।
2. किसी संकटकालीन परिस्थिति के कारण रिक्त हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्थान पर चुनाव नियत प्रक्रिया द्वारा ही होगा।
3. इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तारीख निश्चित करेगी, जो किसी भी दशा में स्थान रिक्त होने से छः माह से अधिक नहीं होगी।
4. नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाने तक वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

अनुच्छेद–22, संसदीय बोर्ड

(क) केन्द्रीय संसदीय बोर्ड

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति संसद व विधानमंडलों में पार्टी की गतिविधियों के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए संसदीय बोर्ड का गठन करेगी। संसदीय बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा व प्रधान महासचिव संसदीय बोर्ड का सचिव होगा। लोकसभा व राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता (यदि हैं तो) बोर्ड के सदस्य होंगे।
3. अन्य सदस्यों का नामांकन राष्ट्रीय कार्यसमिति करेगी । यदि लोकसभा व राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं हैं तो उनके स्थान पर भी मनोनयन राष्ट्रीय कार्यसमिति करेगी
4. संसद व विधानमंडलो के चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को अधिकार पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही दिये जायेंगे ।
5. संसद, विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के लिए केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ही प्रत्याशियों का अन्तिम चयन करेगा।
6. संसदीय बोर्ड के सभी निर्णय सामूहिक रुप से लिए जाएंगे तथा मत भिन्नता की स्थिति में बहुमत के निर्णय ही समस्त सदस्यों को मान्य होंगे।

(ख) राज्य संसदीय बोर्ड

1. राज्य कार्यकारिणी नियमानुसार राज्य संसदीय बोर्ड का गठन करेगी।
2. राज्य संसदीय बोर्ड की अधिकतम सदस्य संख्या 7 होगी, जिनमें राज्य अध्यक्ष सभापति होगा व उस राज्य का मुख्य महासचिव बोर्ड का सचिव होगा। संबंधित विधानसभा एवं विधान परिषद में पार्टी के विधायक दल के नेता बोर्ड के सदस्य होंगे।
3. अन्य सदस्यों का नामांकन राज्य कार्यकारिणी करेगी। यदि संबंधित विधानसभा एवं विधान परिषद में पार्टी के विधायक दल के नेता नहीं हैं तो उनके स्थान पर भी मनोनयन संबंधित राज्य कार्यकारिणी करेगी ।
4. राज्य संसदीय बोर्ड संबंधित राज्य से संसदीय तथा विधानमण्डल चुनावों के लिए प्रत्याशियों के 5–5 नामों का पैनल बनाकर केंन्द्रीय संसदीय बोर्ड को प्रस्तावित करेगा।

5. प्रदेश संसदीय बोर्ड संबंधित प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों तथा अन्य स्थानों के लिए राष्ट्रीय कार्यसमिति की अनुमति से प्रत्याशियों का चयन करेगा।

अनुच्छेद–23, चुनाव घोषणा पत्र समिति

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति संसदीय चुनाव से पूर्व चुनाव घोषणापत्र समिति गठित करेगी, जो राष्ट्रीय चुनाव घोषणापत्र तैयार करेगी । इसे राष्ट्रीय कार्यसमिति के अनुमोदन के पश्चात घोषित किया जायेगा।
2. विधानमण्डलों के चुनावों से पूर्व संबंधित राज्य की प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की समिति का गठन राज्य स्तर पर करेगी जो राज्य का चुनाव घोषणा–पत्र तैयार करेगी । इसे राष्ट्रीय कार्यसमिति के अनुमोदन के पश्चात घोषित किया जायेगा।

अनुच्छेद–24, मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं सम्बद्ध संगठन

1. महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, मजदूर, शिक्षक, अधिवक्ता, छात्र, पिछड़ा वर्ग, व्यापारी, पूर्व सैनिक एवं ऐसे अन्य मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं सम्बद्ध संगठन, जिनका गठन करना राष्ट्रीय कार्यसमिति की दृष्टि में आवश्यक हो, उनका गठन राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. इन संगठनों के अध्यक्ष स्तरीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे
3. इन संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य पार्टी के सक्रिय सदस्य ही हो सकेंगे।
4. राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यसमिति की सलाह से पार्टी के संबद्ध संगठनों (मोर्चो, प्रकोष्ठों आदि) के राष्ट्रीय अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों व राष्ट्रीय कार्यकारिणियों के सदस्यों व राज्य अध्यक्षों का मनोनयन करेगा । राज्य के पदाधिकारियों व राज्य कार्यकारिणियों के सदस्यों का मनोनयन संबंधित राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन से करेंगे।
5. जिला स्तरीय सम्बद्ध संगठनों के अध्यक्षों का मनोनयन पार्टी के राज्य अध्यक्षों द्वारा सम्बद्ध संगठन के राज्य अध्यक्ष की संस्तुति से किया जायेगा व सम्बद्ध संगठनों की जिला कार्यकारिणियों का मनोनयन संबंधित संगठन के जिला अध्यक्ष पार्टी के जिला अध्यक्ष की सहमति व राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से कर सकेंगे ।

6. राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि इस बात से संतुष्ट हो कि कोई सम्बद्ध संगठन पार्टी के हितों के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसे सम्बद्ध संगठन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी भंग कर सकता है तथा उसके किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को पद से हटा सकता हैं।

अनुच्छेद–25, अनुशासनात्मक कार्रवाई

(क) अनुशासन समितियां :–

1. अनुशासन भंग करने के प्रकरणों को निपटाने के लिए राष्ट्र स्तर,राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर अनुशासन समितियों का गठन किया जायेगा। गठन निम्न प्रकार से होगा :–
   (क) राष्ट्र स्तर पर ऐसी समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यसमिति करेगी।
   (ख) राज्य स्तर पर ऐसी समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यसमिति की सहमति से करेगी।
   (ग) जिला स्तर पर ऐसी समिति का गठन जिला कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी की सहमति से करेगी।

2. राष्ट्रीय कार्यसमिति अनुशासन भंग के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक केंद्रीय अनुशासन समिति का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य होंगे। राज्य कार्यकारिणी केन्द्रीय अनुशासन समिति की सहमति/अनुमोदन से राज्य अनुशासन समिति का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे। केन्द्रीय अनुशासन समिति राज्य अनुशासन समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निस्तारण और ऐसे प्रकरणों पर भी निर्णय करेगी जो पार्टी के सक्षम महासचिव द्वारा उसे प्रेषित किये जायेंगे।

3. निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ केन्द्रीय अनुशासन समिति, राज्य/जिला अनुशासन समिति अपने अधीनस्थ किसी भी पार्टी इकाई या उसके किसी सदस्य अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध, जिसने अनुशासन की अवहेलना की हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।
   (क) केंद्रीय अनुशासन समिति किसी भी इकाई या सदस्य (राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सहित) के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, किन्तु राष्ट्रीय परिषद के विरुद्ध नहीं।

(ख) राज्य अनुशासन समिति केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा उन सदस्यों के विरुद्ध ही कार्रवाई कर सकती है, जो राष्ट्रीय परिषद एवं संसद के सदस्य न हों। राष्ट्रीय परिषद तथा संसद के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य अनुशासन समिति राष्ट्रीय अनुशासन समिति को सिफारिश कर सकती है। जिला अनुशासन समिति केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा जिला इकाई के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, परन्तु उसे राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद या विधानमंडल सदस्य अथवा संसद सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे प्रकरणों में वह केवल सक्षम अधिकारी/समिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकती है।

ख) अनुशासन समिति की कार्यप्रणाली :–

(1) अनुशासन समिति को अनुशासनहीनता की सूचना प्राप्त होती है, तो–

(क) उसका विवरण इस कार्य के निमित्त पंजिका में अंकित किया जायेगा।

(ख) इस प्रकार का प्रकरण अंकित होने पर उस व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया जायेगा जिसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गई है या कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा उसे नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन का समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिया जायेगा।

(2) इस प्रकार का नोटिस संबंधित सदस्य को पंजीकृत पावती पत्र द्वारा या व्यक्तिगत रुप से (यदि संभव हो) प्रेषित किया जायेगा।

(3) इस प्रकार के नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासन समिति उसका अवलोकन करने व आवश्यक जांच करने के पश्चात आरोप बिन्दु निर्धारित करेगी तथा संबंधित पक्षों से पूछ–ताछ करेगी और साक्ष्य लेगी।

(4) संबंधित पक्षों को जैसी भी स्थिति हो, प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जायेगा। संबंधित पक्षों का यह दायित्व होगा कि वह अपेक्षित साक्ष्य निर्धारित समय में प्रस्तुत करें।

(5) प्रमाण उपलब्ध कराने का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात संबंधित पक्षों के तर्कों को सुना जायेगा और तत्पश्चात समिति पर्याप्त अन्वेषण के उपरान्त प्रकरण पर अपना निर्णय लिखित रुप में देगी तथा इसकी सूचना संबंधित पक्षों को प्रेषित की जायेगी।

(6) अनुशासन समिति किसी भी पक्ष के पहल करने पर या स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी सदस्य को पत्र जारी कर सकती है, जिसमें उसे साक्ष्य के साथ उपस्थित होने या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

(7) यदि कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है, नोटिस दिये जाने के पश्चात अनुपस्थित रहता है तो अनुशासन समिति दूसरा नोटिस जारी करेगी। यदि फिर भी वह सदस्य उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित सदस्य के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई *(यदि अनुशासन समिति आवश्यक समझती हो तो)* की जा सकती है, परन्तु प्रतिबंध यह है कि एक पक्षीय कार्रवाई करने की स्थिति में प्रकरण का निर्णय होने से पूर्व यदि संबंधित सदस्य उपस्थित हो जाता है तथा समिति को यह संतुष्ट कर देता है कि समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने में वह किसी उचित कारण से असमर्थ रहा है (जान–बूझकर नहीं), तो समिति एकपक्षीय कार्रवाई को निरस्त कर सकती है और प्रकरण की सुनवाई पुनः आरंभ कर सकती है।

(ग) निलंबन का अधिकार

(1) अनुशासन भंग किये जाने का प्रारंभिक प्रमाण उपलब्ध होने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के अतिरिक्त किसी भी इकाई को निलंबित कर सकते हैं, परन्तु अध्यक्ष को चाहिए कि वह ऐसे प्रकरण को राष्ट्रीय कार्यसमिति की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दें । यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि पार्टी के किसी सदस्य/सदस्यों या पदाधिकारी/पदाधिकारियों का आचरण पार्टी विरोधी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे सदस्य/सदस्यों या पदाधिकारी /पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर सकता है, किन्तु राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस निर्णय को कार्यसमिति की आगामी बैठक में अनुमोदित कराना होगा ।

(2) अनुशासन भंग किये जाने का प्रारंभिक प्रमाण उपलब्ध होने पर पार्टी की राज्य शाखाओं के अध्यक्ष (राज्य परिषद के अतिरिक्त) राज्य में किसी भी अधीनस्थ इकाई को निलंबित कर सकते हैं तथा अपने राज्य में पार्टी के किसी भी सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकते है, परन्तु किसी संसद सदस्य, राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व राष्ट्रीय अध्यक्ष को निलंबित नहीं कर सकते। इस प्रकार के निलंबन के समस्त प्रकरण और तत्पश्चात उन पर लिए गये निर्णय की आख्या निलंबन या निर्णय

के एक सप्ताह के अन्दर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी, लेकिन राज्य शाखा के अध्यक्ष को राज्य कार्यकारिणी की आगामी बैठक में यह प्रकरण रखना होगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में, जिनमें निलंबन की आज्ञा प्रदान की गई हो, एक महीने के अंदर निस्तारण के लिए पहल और कार्यवाही करनी होगी।

(घ) अनुशासन भंग की स्थितियां

निम्न दशाओं में अनुशासन भंग माना जायेगा :–

1. भारत के संविधान के विरुद्व कोई आचरण या ऐसा अपराध, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
2. पार्टी के कार्यक्रम, नीतियों एवं निर्णयों के विरुद्ध कार्य करना अथवा प्रचार करना।

स्पष्टीकरण : *पार्टी के किसी निर्णय अथवा कार्यक्रम के विरुद्ध पार्टी के किसी भी सदस्य को अपने विचार केवल पार्टी के मंच की परिधि में ही व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी।*

3. किसी भी सक्षम पदाधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करना, पार्टी के नियमों की अवहेलना करना, कोष का दुरुपयोग करना, सदस्यों की भर्ती तथा पार्टी के चुनाव में भ्रष्ट तरीके काम में लाना।
4. अनधिकृत रुप से पार्टी के नाम पर धन एकत्र करना।
5. अनैतिक आचरण, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी या गबन के लिए दोषी पाया जाना।
6. पार्टी के उद्देश्यों के विरुद्ध काम करना।
7. योजनानुसार ऐसा कार्य करना, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता हो या पार्टी इकाइयों या पदाधिकारियों के विरुद्ध या पार्टी की नीतियों या कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रचार करना।
8. पार्टी के किसी सदस्य के विरुद्ध सार्वजनिक रुप से गंभीर आरोप लगाना।
9. किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार करना।

(ङ) नोटिस

1. सामान्यतः किसी भी सदस्य अथवा इकाई पर लगाए गये आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिये बिना आरोपित सदस्य के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

2. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से नोटिस तभी निर्गत किया जा सकता है, जब सक्षम अधिकारी यह समझता हो कि संबंधित इकाई या सदस्य के विरुद्ध अनुशासनहीनता का प्रथम द्रष्टया प्रमाण है।
3. किसी भी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूर्ण करनी होगी।

(च) दण्ड

1. अनुशासन भंग करने का दण्ड पार्टी इकाई की दशा में उसे भंग किये जाने के रुप में दिया जा सकता है तथा अनुशासन भंग करने वाले सदस्य/सदस्यों को निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है । आवश्यकता पड़ने पर निलंबित या निष्कासित सदस्य/सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।
2. साधारण एवं सक्रिय सदस्य के प्रकरणों में उसे सदस्यता से पृथक करने के साथ–साथ एक निश्चित कालखंड के लिए सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. कोई भी सदस्य, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, यदि किसी स्वायत्त संस्था, विधानमंडल, संसद या स्थानीय निकाय का सदस्य है, तो उसे ऐसे पद से भी त्याग–पत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

(छ) अनुशासनात्मक कार्रवाई की आख्याएं

यदि जिला अथवा राज्य अनुशासन समिति में से किसी समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, तो उसके निर्णय की सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत क्रमशः राज्य कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिया जाना आवश्यक है।

(ज) अपील

(1) जिला अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य अनुशासन समिति को तथा राज्य अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील केंद्रीय अनुशासन समिति को की जायेगी।

(2) केंद्रीय अनुशासन समिति की कार्रवाई को राष्ट्रीय कार्यसमिति में प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) पार्टी की किसी भी इकाई या सदस्य को, जिसके विरुद्ध राज्य अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर राज्य अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय अनुशासन समिति के पास अपील करने का अधिकार होगा । अपील की सुनवाई के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपील पर निर्णय होने तक कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं ।

(झ) अपील पर कार्यवाही

(1) केंद्रीय अनुशासन समिति को अपील प्राप्त होने पर उसे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजिका में अंकित किया जायेगा तथा अपील की सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की जायेगी।

(2) अपील के साथ अपीलकर्ता अपने वर्तमान पते की भी सूचना समिति को प्रेषित करेगा।

(3) इस प्रकार उस पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस उसको दी गयी पर्याप्त सूचना समझा जायेगा।

(4) अपीलकर्ता को सुनवाई की तिथि व्यक्तिगत रुप से या पावती कार्ड के साथ पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।

(5) अपील की सुनवाई की तिथि से पूर्व केन्द्रीय अनुशासन समिति संबंधित राज्य अनुशासन समिति से अपील संबंधी पत्रावली मंगा लेगी।

(6) यदि आवश्यक हो, तो राज्य अनुशासन समिति, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई हो, का तर्क भी उसके प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जायेगा।

(7) सभी संबंधित पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात तथा संबंधित साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात अपील पर निर्णय उसी दिन दिया जा सकता है या उसके लिए अन्य तिथि निश्चित की जा सकती है। निर्णय के उपरांत उसकी प्रति संबंधित पक्षों को जारी की जायेगी।

(8) स्पष्ट प्रावधान न होने की स्थिति में केन्द्रीय अनुशासन समिति प्राकृतिक न्याय, औचित्य एवं विवेक के अनुसार जैसा उचित समझे, कार्रवाई कर सकती है।

अनुच्छेद–26, विशेष प्रतिनिधित्व

पार्टी के संगठन में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, युवाओं आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए नियमानुसार पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

अनुच्छेद–27, चंदे से प्राप्त धन/सदस्यता शुल्क का वितरण

पार्टी को किसी भी स्तर पर मिलने वाला शुल्क/ चंदा पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा । तत्पश्चात सदस्यता शुल्क व चंदे से प्राप्त धन को पार्टी की विभिन्न इकाइयों में राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वितरित किया जायेगा।

अनुच्छेद–28, बैंक खाता/खाते

पार्टी का बैंक खाता/बैंक खाते किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में राष्ट्रीय कार्यसमिति के निर्णय के अनुसार खोले जायेंगे। बैंक खाते राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान महासचिव या राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित एक राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा खोले जाऐंगे तथा खाते का परिचालन उपरोक्त में से किन्हीं दो के सयुंक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।

पार्टी की अन्य इकाईयों यथा (विधानसभा इकाई, जिला इकाई, राज्य इकाई) व मोर्चों /प्रकोष्ठों के बैंक खाते किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में राष्ट्रीय कार्यसमिति की लिखित अनुमति के बाद खोले जा सकते हैं, जो संबंधित इकाई के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव/महासचिव/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा खोले जाऐंगे तथा खाते का परिचालन उपरोक्त में से किन्हीं दो के सयुंक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा ।

अनुच्छेद–29, पार्टी के वित्तीय लेखे

1 पार्टी के आय–व्यय का पूर्ण विवरण रखा जायेगा । पार्टी अपने वित्तीय लेखों के रख–रखाव में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी ।

2 पार्टी का फंड राजनीतिक कार्यो के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा ।

3 पार्टी का लेखा परीक्षण सी0 ए0 जी0 के पैनल में शामिल आडिटर से कराया जायेगा ।

4 पार्टी प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर भारत चुनाव आयोग को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी ।

अनुच्छेद–30, बैठकों की सूचना

विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी/जिला कार्यकारिणी की बैठक 7 दिन की पूर्व सूचना पर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 दिन की पूर्व सूचना पर आहूत की जा सकेगी । विशेष परिस्थितियों में बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है ।

अनुच्छेद–31, पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

पार्टी की विभिन्न इकाइयों में पार्टी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) अध्यक्ष :–

1. नियमानुसार स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. पूर्ण अधिवेशन/विशेष अधिवेशन/राष्ट्रीय परिषद/राष्ट्रीय कार्यकारिणी /राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा बनाये गये नियमों एवं पार्टी संविधान द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन व अनुसरण तथा निर्देशन करना।
3. स्तरीय परिषदों तथा कार्यकारिणियों के लिए सदस्यों का नामांकन करना।

(ख) उपाध्यक्ष :–

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहायक का कार्य करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन करेंगे।

(ग) प्रधान महासचिव/मुख्य महासचिव :–

प्रधान /मुख्य महासचिव इस संविधान व पार्टी के नियमों के अनुसार अपने अधिकारोंका प्रयोग करेंगे तथा अध्यक्ष/कार्यकारिणी/ कार्यसमिति द्वारा निर्देशित कार्यों को भी करेंगे । स्तरीय बैठकों की व्यवस्था करना व उनकी कार्यवाही रखना तथा स्तरीय कार्यालयों की व्यवस्था देखना और इस संबंध में संविधान सम्मत निर्देश देना इनका मुख्य कार्य होगा। जिला व विधानसभा कार्यकारिणी में महासचिव तथा प्राथमिक व मतदान केंद्र समिति में सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य प्रधान/ मुख्य महासचिव की तरह ही होंगे।

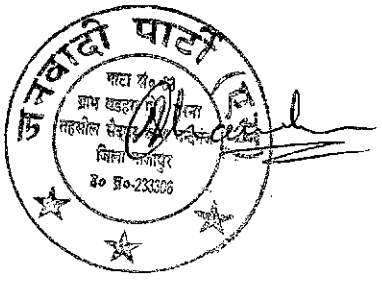

(घ) महासचिव/सचिव/उपसचिव :–

महासचिव/सचिव/उपसचिव, प्रधान /मुख्य महासचिव के सहायक के रुप में कार्य करेंगे। साथ ही कार्यकारिणी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार भी कार्य करेंगे। जिला व विधानसभा कार्यकारिणी में महासचिव तथा प्राथमिक व मतदान केंद्र समिति में सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य प्रधान/मुख्य महासचिव की तरह ही होंगे ।

(ङ) प्रवक्ता :–

प्रवक्ता मीडिया के समक्ष पार्टी के विचारों को रखेंगें। इनके सब कार्य पार्टी द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अन्दर ही होंगें ।

(च) कोषाध्यक्ष :–

कोषध्यक्ष पार्टी के स्तरीय कोष का व्यवस्थापक होगा और समस्त पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्चों का ठीक–ठीक ब्योरा रखेंगे तथा पार्टी की उच्च इकाई को उसके निर्देशानुसार पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्चों का विवरण भेजेंगे ।

अनुच्छेद–32, प्रभारी

पार्टी के संगठन विस्तार के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यों में राज्य अध्यक्ष जिलों व जिला अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्रों मे किसी भी सक्रिय सदस्य को प्रभारी नियुक्ति कर सकते हैं। प्रभारी संबंधित अध्यक्ष व कार्यकारिणी को आवश्यक सुझाव देंगे तथा स्वयं को नियुक्त करने वाले अध्यक्ष को अपनी इकाई की प्रगति रिपोर्ट देंगें। प्रभारी संबंधित इकाई की बैठकों मे तो भाग लेंगे किन्तु मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे । किसी भी सदस्य को उसके वर्तमान निवास वाले विधानसभा क्षेत्र/जिला/राज्य में प्रभारी नहीं बनाया जा सकता ।

अनुच्छेद–33, विशेष आमंत्रित सदस्य

पार्टी के पूर्ण/विशेष अधिवेशन व विभिन्न परिषदों के सम्मेलन में संबंधित अध्यक्ष विशिष्ठ व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में बुला सकता है, जिनका पार्टी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु इनकी अधिकतम संख्या संबंधित परिषद की कुल संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। आमंत्रित सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अपने विचार रख सकते हैं किन्तु मतदान में भाग नहीं ले सकते।

अनुच्छेद–34, पार्टी का विलय व विघटन

पार्टी के विलय व विघटन की स्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक समिति बनाएगी, जो पार्टी के विलय या विघटन के तथ्यों पर अपनी संस्तुति देगी । समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी विशेष अधिवेशन बुलायेगी, जिसमें इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा। विशेष अधिवेशन में कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यह प्रस्ताव उपस्थिति सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

अनुच्छेद–35, संविधान संशोधन

इस संविधान में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन *(संविधान के अनुच्छेद–2 के अतिरिक्त)* राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय परिषद की विशेष सभा, जो इस आशय से बुलाई गयी हो, में उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से संविधान को *(संविधान के अनुच्छेद–2 के अतिरिक्त)* संशोधित, परिवर्तित या परिवर्द्धित कर सकती है । राष्ट्रीय परिषद द्वारा अधिकृत किये जाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी संविधान संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन *(संविधान के अनुच्छेद–2 के अतिरिक्त)* कर सकती है ।

अनुच्छेद–36, कोरम

पार्टी के सभी स्तरों के संगठनो की बैठक संविधान मे वर्णित प्रावधानों व सामान्यतः अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार आहूत की जायेगी । बैठकों में निर्णय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बहुमत से लिये जायेंगे। पूर्ण/विशेष अधिवेशन व परिषदों के सम्मेलनों मे कोरम सदस्यों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत होगा । कार्यकारिणियों के लिये कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक–तिहाई होगा।राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये कोरम एक–तिहाई व मुख्य सभा के लिये कोरम दो–तिहाई होगा।

अनुच्छेद–37, विशेष

पार्टी संगठन मे सभी पद चुनाव द्वारा भरे जायेंगें तथा कोई भी पद अनुवांशिक नही होगा।

किसी भी स्तर पर मनोनयन उस समिति के कुल पदो के 20 प्रतिशत से अधिक नही होगां।

यह घोषित करता है कि पार्टी पदाधिकारियों के सभी पदों तथा पार्टी के अंगों के लिए समयबद्ध चुनाव (संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार तीन वर्ष में एक बार) कराये जाएंगे ।

विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान (अनुच्छेद 18) तथा विभिन्न समितियों /पदाधिकारियों की पदावधि (संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार तीन वर्ष) है

पार्टी की सभी शीर्ष स्तरीय समितियों तथा प्रतिनिधि निकायों का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा ऐसें निकायों के सदस्यों का नामांकन, समिति/निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा।

पार्टी के विभिन्न पदों की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। कोई भी पद आनुवंशिक नहीं है अथवा स्थायी रूप से रखा गया नहीं होगा ।

पार्टी की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है? क्या उचित स्तर के प्रतिनिधि निकायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुमत के आधार पर है।

पार्टी के गठन के **उद्देश्यों** को पूरा करने के लिये पार्टी का सत्ता मे होना आवश्यक है । इसलिये पार्टी अपने पंजीकरण के पाँच वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगी तथा उसके पश्चात् भी चुनाव लड़ना जारी रखेगी । यदि पार्टी लगातार छः वर्षो तक चुनाव नहीं लड़ती है तो पार्टी अपनी सभी इकाइयों को भंग कर देगी व भारत निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देगी तथा तब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दलों की सूची से पार्टी का नाम हटाया जा सकता हैं।

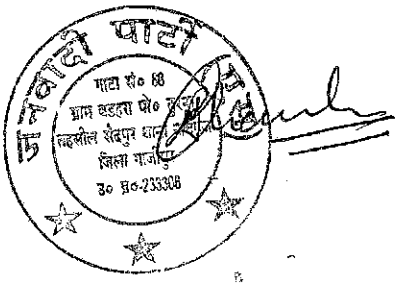

जनवादी पार्टी (एस)				अनुलग्नक (क) *संविधान के अनुच्छेद 13(ग) 3(ग) के अनुसार*
क्रम संख्या	**इकाई**	**गठन**	**कमेटी**	**विवरण**
1	प्राथमिक इकाई	प्राथमिक इकाई का गठन उस बूथ पर किया जायेगा जहां निकाय के सदस्यों की संख्या कम से कम पाचॅ हो	बूथ कमेटी व मतदान केन्द्र समिति व प्राथमिक समितियां	सदस्यों की संख्या 5 से 11 होंने पर केवल अध्यक्ष
				सदस्यों की संख्या 11 से 21 होंने पर अध्यक्ष व सचिव
				सदस्यों की संख्या 21 से अधिक होंने पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष
2	न्याय पंचायत, वार्ड इकाई	न्याय पंचायत, वार्ड इकाई का गठन उस क्षेत्र में किया जाएगा जहां निकाय के सदस्यों की संख्या कम से कम ग्यारहॅ हो	न्याय पंचायत, वार्ड, सैक्टर कमेटी।	सदस्यों की संख्या 11 से 21 होंने पर केवल अध्यक्ष व सचिव
				सदस्यों की संख्या 21 से 51 होंने पर अध्यक्ष व सचिव व कोषाध्यक्ष
				सदस्यों की संख्या 21 से अधिक होंने पर 11 सदस्यों की कार्यकारिणी
3	ब्लाक/नगर इकाई	ब्लाक/नगर इकाई का गठन उस ब्लाक/नगर क्षेत्र में किया जाएगा जहां पानिकाय के सदस्यों की संख्या कम से कम ग्यारहॅ हो	ब्लाक या नगर कमेटी	सदस्यों की संख्या 11 से 21 होंने पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष
				सदस्यों की संख्या 21 से अधिक व 51 से कम होंने पर 11 सदस्यों की कार्यकारिणी
				सदस्यों की संख्या 51 से अधिक होंने पर 21 सदस्यों की कार्यकारिणी

4	जिला इकाई	जिला इकाई का गठन उस जिले में होगा जहां कम से कम 50 बूथ कमेटीयों का गठन हो चुका हो	जिला परिषद	जिला क्षेत्र के प्रत्येक उस बूथ से एक सदस्य जिला परिषद के लिये चुना जायेगा जिस बूथ पर बूथ कमेटीं का गठन हो चुका है ।
			जिला कार्यकारिणी	जिला कार्यकारिणी के लिये 31 सदस्यों की कार्यकारिणी
5	राज्य /प्रदेश इकाई	राज्य इकई का गठन उस राज्य में होगा जहां कम से कम 20 सक्रिय सदस्य हौ	राज्य परिषद	राज्य परिषद में राज्य में स्थित प्रत्येक ब्लाक से एक प्रतिनिधि राज्य परिषद के लिये चुना जाएगा ।
			राज्य कार्यकारिणी	उन राज्यों के लिये जिनमें राज्य परिषद के कुल सदस्यो की संख्या 50 से कम है 21 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी ।
				अन्य राज्यों के लिये जिनमें राज्य परिषद के कुल सदस्यो की संख्या 50 से अधिक है 51 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी ।
6	राष्ट्रीय इकाई		राष्ट्रीय परिषद	(1) लक्ष्यदीप, दादर नागर हवेली व चंड़ीगढ (केन्द्र शासित प्रदेशों में) जिनमें जिलों की संख्या संख्या 1 है जिला इकाई के स्थान पर गठित राज्य परिषद के सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए 10 सदस्यों का चुनाव करेंगें।
				(2) अंडमान निकोबार व दमन–दीव केन्द्र शासित प्रदेशों में जिनमे जिलों की संख्या क्रमशं 2 व 3 है । प्रत्येक जिले से 5 सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने जाएंगें ।
				उपरोक्त (1)व (2) के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिये उस राज्य की राज्य परिषद से राष्ट्रीय परिषद के लिये प्रतिनिधि चुने जाएंगें । इन प्रतिनिधियों की संख्या संबंधित राज्य के क जिले की संख्या के बराबर होगी ।

कार्यकारिणी (यों) के पदाधिकारी (अध्यक्ष के अतिरिक्त पद विरतण निम्न प्रकार होगा)												
यदि कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 11 हो			यदि कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 21 हो			यदि कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 31 हो			यदि कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 51 हो)		
1 उपाध्यक्ष		1	1 उपाध्यक्ष	अधिकतम	2	1 उपाध्यक्ष	अधिकतम	4	1 उपाध्यक्ष	अधिकतम	4
2 सचिव	अधिकतम	2	2 महासचिव		1	2 मुख्य महासचिव		1	2 मुख्य महासचिव		1
3 कोषाध्यक्ष		1	3 सचिव	अधिकतम	2	2 महासचिव	अधिकतम	2	2 महासचिव	अधिकतम	4
4 प्रवक्ता	अधिकतम	1	4 उप सचिव	अधिकतम	4	3 सचिव	अधिकतम	4	3 सचिव	अधिकतम	8
5 प्रचारक	अधिकतम	2	5 कोषाध्यक्ष		1	4 उप सचिव	अधिकतम	8	4 उप सचिव	अधिकतम	16
6 मीडिया प्रभारी	अधिकतम	2	6 प्रवक्ता	अधिकतम	2	5 कोषाध्यक्ष	अधिकतम	1	5 कोषाध्यक्ष	अधिकतम	1
7 अभिलेख निरीक्षक		1	7 प्रचारक		4	6 प्रवक्ता	अधिकतम	2	6 प्रवक्ता	अधिकतम	2
			8 सलाहकार	अधिकतम	1	7 प्रचारक	अधिकतम	4	7 प्रचारक	अधिकतम	8
			9 मीडिया प्रभारी	अधिकतम	2	8 सलाहकार	अधिकतम	1	8 सलाहकार	अधिकतम	2
			10 अभिलेख निरीक्षक	अधिकतम	1	9 मीडिया प्रभारी	अधिकतम	2	9 मीडिया प्रभारी	अधिकतम	2
						10अभिलेख निरीक्षक	अधिकतम	1	10अभिलेख निरीक्षक	अधिकतम	2